SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्व शिक्षा अभियान

(S.S.A.)

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद– सुलतानपुर

(उ0प्र0)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1	जनपद की पृष्ठभूमि	1 – 11
2	शैक्षिक–परिदृश्य	11 – 29
3	नियोजन–प्रक्रिया	30 – 42
4	सर्वशिक्षा अभियाान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	43 – 49
5	समस्याएं एवं रणनीतियां	50 – 58
6	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 1 {नवीन विद्यालय}	59 – 65
7	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 2 {ई. जी. एस., ए. आई. ई.}	66 – 85
8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	86 – 122
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	123 – 177
10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	178 – 189
11	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002–07	190 – 196

अध्याय-1

जनपद सुल्तानपुर की पृष्ठभूमि

जनपद - सुल्तानपुर उ.प्र. के फैजाबाद मण्डल में स्थिति है । जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 4436 वर्ग किलोमीटर है । जिसमें कुल 6 तहसील क्रमशः 1. सदर, 2. कादीपुर, 3. लम्भुआ, मुसाफिरखाना, 5. अमेठी, 6. गौरीगंज इनसे सम्बन्धित कुल नगर क्षेत्र सहित 24 ब्लाक थे । वर्ष 2003-04 में उ.प्र. की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री मायावती द्वारा जनपद-सुल्तानपुर से 3 तहसील से सम्बन्धित 10 ब्लाक एवं जनपद-रायबरेली से 6 ब्लाक स्थानान्तरित कर नया जनपद क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर बनाया गया । राजाज्ञा संख्या सी. एम/17/1.5.2003-181-2002 रा.5, 21 मई 2003 जिससे जनपद सुल्तानपुर का क्षेत्रफल कम हो गया । पुनः माननीय मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री उ.प्र. द्वारा नए जनपद को समाप्त कर दिया जिससे जनपद का स्वरूप पूर्ववत हो गया । सुल्तानपुर अवधक्षेत्र में स्थिति है । यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थिति गौरवपूर्ण है।

इस जनपद के पूरब में जौनपुर अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ पश्चिम में नव सृजित जनपद क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर एवं बाराबंकी उत्तर में फैजाबाद तथा दक्षिण में प्रतापगढ़ जनपद स्थित है । जनपद में मात्र एक नदी गोमती नदी बहती है जो पूरे जनपद को दो भागों में बाँटती है । तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है । इस नदी मे जनपद का गभड़िया नाला, मझुई नाला, जमुरिया नाला आदि आकर मिलते है ।

जनपद सुल्तानपुर के नामकरण में विभिन्न मत है कहा जाता है कि अयोध्या के राजा श्रीराम चन्द्र जी के पुत्र 'कुश' ने सुल्तानपुर नगर को बसाया था इसीलिए इसका नाम 'कुशभवन था' थ्ला । बाद में बादशाह सुल्तान, मुहम्मद गौरी की स्मृति में इस नगर का नाम सुल्तानपुर हो गया । इसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ अंग्रेज काल यहाँ अंग्रेज अधिकारियों व सैनिकों का पड़ाव (कैम्प) बना । इस कैम्प के कारण इसे लोग कम्पू भी कहने लगे । लेकिन यह नाम प्रचलन में नही आया और प्रचलन में जनपद का नाम सुल्तानपुर ही रह गया। वर्तमान में इसी नाम पर जनपद का सुल्तानपुर है ।

यह जनपद हिन्दुओं के तीर्थ/धर्मस्थ्ल, अयोध्या, काशी, प्रयाग एवं मथुरा के मध्य में है । जनपद लखनऊ के करीब होने के कारण यहाँ की तहजीव एवं तहरीर लखनवी तथा अवधी है ।

तहसीलवार विकास खण्डों की सूची निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है ।

सारिणी 1.1

क्र0सं0	तहसील	सम्मिलित विकास खण्ड	
1.	सदर	1.	नगर क्षेत्र
		2.	बल्दीराय
		3.	दूबंपुर
		4.	कूड़ भार
		5.	कुड़वार
		6.	धनपतगंज
		7.	जयसिंहपुर
2.	कादीपुर	1.	कादीपुर
		2.	अखण्डनगर
		3.	दोस्तपुर
		4.	मोतिगपुर
3.	लम्भुआ	1.	लम्भुआ
		2.	भदैया
		3.	प्रतापपुर कमैचा
4.	मुसाफिर खाना	1.	मुसाफिरखाना
		2.	जगदीशपुर
		3.	शुकुल बाजार
5.	अमेठी	1.	अमेठी
		2.	भेटुआ
		3.	भादर
		4.	संग्रामपुर
6.	गौरीगंज	1.	गौरीगंज
		2.	जामो
		3.	शाहगढ़

जनपद सुल्तानपुर की प्रशासनिक इकाइयाँ

तालिका 1.2

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई का नाम	संख्या
1.	तहसील	06
2.	विकास खण्ड	23
3.	न्याय पंचायत	187
4.	ग्राम पंचायत	1662
5.	राजस्व ग्राम	2495
6.	बस्तियों की संख्या	8222
7.	नगरीय क्षेत्र	01
8.	नगर निगम	–
9.	नगर महापालिका	–
10.	नगर पालिका	01
11.	टाउन एरिया	05
12.	वार्ड	76

स्त्रोत – कार्यालय अभिलेख कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

टाउन एरिया

सारिणी 1.2.1

क्रमांक	विवरण	टाउन एरिया	वार्ड	[illegible]	[illegible] की संख्या
1.	बल्दीराय	-	-	95	[illegible]
2.	दूबेपुर	-	-	[illegible]	[illegible]
3.	कूड़ेभार	-	-	[illegible]	[illegible]
4.	कुड़वार	-	-	[illegible]	[illegible]
5.	धनपतगंज	-	-	[illegible]	[illegible]
6.	जयसिंहपुर	-	-	[illegible]	[illegible]
7.	कादीपुर	01	10	[illegible]	489
8.	अखण्डनगर	-	-	127	451
9.	दोस्तपुर	01	10	51	282
10.	मोतिगरपुर	-	-	29	75
11.	लम्भुआ	-	-	175	393
12.	भदैया	-	-	135	230
13.	प्रतापपुर कमैचा	01	10	123	303
14.	नगर क्षेत्र	-	25	-	-
15-24	छ.शा.म. नगर	02	21	902	4057
	योग-	05	76	2495	8222

स्त्रोत - कार्यालय अभिलेख कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

भौगोलिक स्थिति

जनपद सुलतानपुर उ0 प्र0 के फैजाबाद मण्डल का एक जिला है। इसके उत्तर दिशा में फैजाबाद, दक्षिण दिशा में क्षत्रपति शाहू जी महराज नगर एवं प्रतापगढ़, पूर्व दिशा में जौनपुर अम्बेडकर नगर तथा पश्चिम दिशा में क्षत्रपति शाहू जी महराज नगर एवं बाराबंकी जनपद है। यह लखनऊ–वाराणसी के राष्ट्रीय/रेल मार्ग पर स्थित है। इस जनपद से लखनऊ 140 किमी0 फैजाबाद 60 किमी0 इलाहाबाद 100 कि0मी0 तथा वाराणसी 140 किमी0 पर है।

प्राकृतिक दशा -

जनपद सुलतानपुर की प्राकृतिक छटा मनोरम है। प्राकृतिक दृष्टि से धनी क्षेत्र है। जनपद में आम, जामुन, नीम, शीशम, बबूल, महुआ, अमरूद, आँवला, कटहल, सफेदा, सागौन के पेड़ पाये जाते हैं। स्थान–स्थान पर सुन्दर–सुन्दर बाग बगीचे हैं। कहीं–कहीं जंगल भी है।

मन्द गति से प्रवाहित होने वाली गोमती नदी इस जनपद की शोभा है। जनपद की भूमि उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूरब की ओर ढालू है। इसीलिए गोमती नदी का बहाव भी इसी ढाल के अनुसार है। जनपद में झील, ताल तथा नाले हैं। जिससे जनपद की प्राकृतिक सौन्दर्यता में और भी वृद्धि हो जाती।

जनपद की जलवायु अच्छी है। किसी भी स्थान की जलवायु का प्रभाव वहाँ के रहन–सहन, खान–पान, कृषि तथा उद्योग धन्धों पर पड़ता है। जाड़ा, गर्मी, वर्षा, बसन्त इत्यादि ऋतुओं का सामान्य रूप से प्रभाव रहता है।

कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था -

सुलतानपुर कृषि प्रधान ज़नपद है। खरीफ, रबी तथा जायद मुख्य फसलें हैं। जनपद के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग कृषि योग्य भूमि है। जनपद में चीनी मिल स्थापित होने के कारण गन्ना मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त गोमती नदी के दोनों किनारों पर जीमन ऊँची–नीची होने के कारण सरपत (मूँज) अधिक पैदा होता है। जिससे बांध बनाया जाता है। यहाँ का बाध प्रसिद्ध है तथा अन्य प्रान्तों को भी आपूर्ति होता है। मल्लाह जाति के स्त्री–पुरुष तथा बच्चों के द्वारा तैयार किया जाता है। जिससे इस जाति के लोगों को रोजी–रोटी मिलती है। फलदार वृक्षों के बाग–बगीचे हैं तथा इनके विकास के लिए सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कृषि उपज के लिए सिंचाई साधनों का काफी महत्व है। सिंचाई के साधन पर ही कृषि उपज निर्भर करता है। जनपद में सिंचाई के अनेक साधन जैसे कुआँ, नहर, नलकूप, तालाब, ढेकुली इत्यादि प्रचलित है परन्तु नहर एवं नलकूल के अतिरिक्त अन्य साधन काफी प्राचीन है। जो विलुप्त हो रहे हैं।

यातायात, संचार व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधायें -

जनपद सुलतानपुर लखनऊ से वाराणसी राष्ट्रीय संड़क मार्ग नं0 56 तथा रेलमार्ग पर स्थित है। यह जनपद चारों दिशाओं में मुख्य जनपदों से सड़क तथा रेल दोनों ही मार्गों से जुड़ा है। जनपद में उ0 प्र0 राजकीय परिवहन निगम का बस अड्डा है जहाँ से प्रत्येक स्थानों के लिए बसें जाती हैं एवं एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। जहाँ पर सभी प्रमुख रेलगाड़ियों का स्टापेज है एवं कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है। सड़क एवं रेल मार्ग के अतिरिक्त वायु मार्ग यातायात के लिए एक छोटा हवाई अड्डा अमहट में है।

संचार के क्षेत्र में जनपद सुलतानपुर अग्रणी क्षेत्र है। जनपद के अधिकतर रेवेन्यु गाँव संचार व्यवस्था से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल सेवा भी है जिसमें बी0 एस0 एन0 एल0 एवं ई0 एस0 एस0 आर0 की सेवायें तथा केबिल टी0 बी0 चैनल पर सिटी केबिल एवं आप तक चैनल की सेवाएँ उपलब्ध है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनपद सुलतानपुर नगर को पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द जी के पुत्र 'कुश' ने बसाया था। इसीलिए इसका प्राचीन नाम 'कुशभवनपुर' था अन्य मत के अनुसार स्थानीय शासकों द्वारा खिलजी वंशज के मध्य अनेक युद्ध हुये जिसमें "पाँचोपीरन" पर भीषण युद्ध हुआ जो गोमती नदी के उत्तर दिशा में स्थित है। जिसमें पाँच मुसलमान योद्धा मारे गये और अन्त में खिलजी वंश के शासक का विजय हुआ उक्त घटना 13 वीं शताब्दी की है। इस प्रकार यह क्षेत्र दिल्ली के सुलतान द्वारा जीता गया, जिसे आज सुलतानपुर के नाम से जाना जाता है।

जनपद सुलतानपुर में जमीदारी उन्मूलन के पूर्व रियासत में विभाजित तथा इन्ही के द्वारा शासन प्रशासन एवं राजस्व वसूली का कार्य किया जाता था। इस प्रकार उस समय, जनपद में मुख्यतः क्रमशः अमेठी स्टेट, दियरा स्टेट, इसनपुर स्टेट, कुड़वार स्टेट, पाली स्टेट, गारापुर स्टेट, अस्तित्व में थे। जमीदारी उन्मूलन के पश्चात कई स्टेट अस्तित्व विहीन हो गये। ब्रिटिशकाल में ब्रिटिशको फौज छावनी इसी जनपद में थी। यह नगर गोमती नदी के किनारे बसा होने के कारण जलमार्ग की सुविधा का दृष्टिगत रखते हुये ब्रिट्रिशर की छावनी स्थापित थी।

पौराणित कथाओं के अनुसार लंका के राजा श्री रावण के बध के पश्चात अयोध्या वापस जाते समय श्रीराम चन्द्र जी ने गोमती नदी में धोपाप में स्नान कर अपने को पाप मुक्त किया था। यह स्थान सुलतानपुर से जौनपुर मार्ग पर 23 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित लम्भुआ से 3 कि0 मी0 उत्तर दिशा में है मान्यता थी कि यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा एवं चैत्र राम नवमी पर्व पर स्नान करने पर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है।

सुलतानपुर जनपद में कुड़वार एक प्राचीन राज्य था, कुड़वार के निकट गढ़ी नामक स्थान है वहाँ पर बौद्ध कालीन खण्डहार है जिसमें कुछ मूर्तियां पाई गयी हैं। इसी प्रकार कोटवा में एक भव्य मन्दिर है जिसमें संगमरमर पत्थर से बनी भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति है।

जनपद सुलतानपुर का नाम सन् 1857 की क्रान्ति (गदर) में भी नाम आता है। कहा जाता कि गदर के समय जनपद प्रतापगढ़ के काला काँकर स्टेट के राजा साहब ने जनपद सुलतानपुर के चाँदा क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध किया था।

इस प्रकार जनपद – सुलतानपुर का नाम ऐतिहासिक, धार्मिक राजनैतिक इत्यादि क्षेत्रों में पूर्व से ही अग्रणी रहा है।

धार्मिक पृष्ठ भूमि

जनपद सुलतानपुर के धार्मिक स्थालों में सीताकुण्ड, धोपाप, बिजेथुआ, कुड़वार, कोरवाँ, जानिकी की कुटी, पांचोपीरन का महत्वपूर्ण स्थान है।

सीताकुण्ड -

सुलतानपुर नगर में गोमती नदी के तट पर सीता कुण्ड नाम का मनोरम घाट है कहा जाता है कि श्रीराम चन्द्र जी के साथ वनवास जाते समय माता सीता जी ने यही पर स्नान किया था। यहाँ पर नित्य एवं अनेक पर्वो पर लोग स्नान करने आते हैं।

धोपाप -

यह स्थान सुलतानपुर से 27 कि0 मी0 दूरी पर स्थित लम्भुआ के उत्तर दिशा में 31 कि0मी0 की दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित है। लंका के राजा रावण का वध कर लंका पर विजय के बाद श्रीराम चन्द्र जी ने इसी स्थान पर पवित्र गोमती नदी में स्नान किया था। तभी से यहाँ ज्येष्ठ दशहरा में बहुत बड़ा मेला लगता है। इस पवित्र स्थान पर लोग पाप से मुक्ति पाते हैं।

विजेथुआ -

रामचरित मानस में वर्णन है कि संज़ीवनी लाने ज़ाते समय हनुमानज़ी ने रावण द्वारा भेजे गये कालिनेम राक्षस का बध यहीं किया था। राक्षस की जानकारी एक मकड़ी द्वारा दिये जाने पर यहाँ पर बने कुण्ड का नाम मकड़ी कुण्ड है एवं हनुमान जी का भव्य प्राचीन मन्दिर बना है जो कि काफी प्रसिद्ध है। जहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगत है।

कुड़वार -

यहाँ एक प्राचीन राज्य था। कुड़वार के निकट गढ़ी नामक स्थान है। वहाँ पर बौद्ध कालीन खण्डहर है। जिसमें कुछ मूर्तियाँ भी पायी गयी हैं।

कोटवा -

कोटवा में एक भव्य मन्दिर है जिसमें संगमरमर पत्थर से बनी भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति है।

सांई की कुटी -

गोमती नदी के उत्तर की तरफ साईं की कुटी है। मुसलमान धर्म के लोगों में इस कुटी का बहुत महत्व है।

पाँचोपीरन -

गोमती नदी के किनारे पाँचों पीरन नाम का गाँव है। पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पर पाँच पीरो की मजार है जिसके कारण इस गाँव का नाम पाँचो पीरन पड़ा।

चर्च सुलतानपुर -

जनपद सुलतानपुर में ब्रिटिश काल से अंग्रेजो की छावनी थी तथा यहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे, उनमें क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग थे। इस प्रकार आज भी जनपद में क्रिश्चियन धर्म के, मानने वाले लोग निवास करते हैं। तथा पूजा अर्चना के लिए कचेहरी प्रांगण के सामने बने करूणाश्रय अस्पताल के पीछे चर्च बना हुआ है। क्रिशमस डे के दिन यहाँ वड़े धूमधाम क्रिशमस डे मनाया जाता है।

गुरूद्वारा सुलतानपुर -

सुलतानपुर में पंजाबी कालोनी में गुरूद्वारा बना हुआ हैं। जहाँ पर सिक्ख धर्म को मानने वाले लोग पूजा –अर्चना के लिए जाते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद सुलतानपुर में सभी धर्मों हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई के लोग रहते है तथा सबका अपना – अपना धार्मिक स्थल है। परन्तु प्रसिद्ध पर्वो तथा त्योहारों को सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं।

जनपद के प्रमुख मेला

जनपद सुलतानपुर में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई चारो धर्मों के लोग निवास करते हैं इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं सभी धर्मों के लोगों में आपसी सदभावना है। सभी एक – एक दूसरे के पूजा/धर्म स्थलों का सम्मान करते हैं। होली, ईद जैसे त्योहारों पर एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की झाँकियाँ शहर तथा देहात के स्थान – स्थान पर सजती हैं। यह मेला लगभग 7 दिन से 10 दिन तक लगा रहता हैं तथा प्रत्येक दिन अलग–अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। कि भारत में बंगाल (कोलकत्ता) के बाद दुर्गा पूजा में सुलतानपुर का नाम द्वितीय स्थान पर आता है। इसे देखने के लिए सभी धर्मों के लोग आते हैं।

भारतवर्ष का प्रसिद्ध मेला विजय दशमी दशहरा सुलतानपुर जनपद में शहर, तथा गाँव–गाँव स्तर पर लगता है। इन मेलों में प्रत्येक किस्म के व्यापारी आते हैं तथा अच्छा व्यवसाय करते हैं इन मेलों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है अन्य प्रमुख मेले निम्न प्रकार हैं।

विजय दशमी (दशहरा)

विजय दशमी का मेला यहाँ पर गाँव–गाँव कस्बो, शहर प्रत्येक स्तर पर लगता है तथा इसका बहुत महत्व है।

दुर्गापूजा -

जनपद के शहर के प्रत्येक मुहल्लों तथा कस्बों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है तथा एक सप्ताह से अधिक मेला लगा रहता है।

विजेथुआ महावीरन का मेला -

यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मन्दिर है। प्रचलित कथाओं के अनुसार यहाँ पर हनुमान जी ने राक्षस कालिनेम के मारा था। यहाँ प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को मेला

लगता है। जहाँ पर लोग प्रसाद के रूप में हनुमान जी को मीठी पूड़ी (रोट) चढ़ता है जो वहाँ पर श्रद्धालु बनाकर चढ़ाते है वर्ष में बड़ा (बुढ़वा) मंगलवार बहुत बड़ा मेला लगता है।

धोपाप का मेला -

किवदन्ती है कि भगवान श्रीरामचन्द्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर लौटते समय इसी स्थान पर पवित्र गोमती नदी में स्नान किये थे। तथा इसके उपान्त ही ब्रहम हत्या से मुक्ति मिली थी। तभी से ज्येष्ट माह में दशहरा मेला लगता है। इस पर्व पर लोग गोमती नदी में स्नान कर पवित्र एवं पाप मुक्त होते हैं।

लोहरामऊ माँ दुर्गा का मेला -

यहाँ पर माँ दुर्गा जी प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को लोग माँ दुर्गा का दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि व सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है। मन्दिर परिसर में हनुमानजी, शंकरजी, राधा–कृष्ण, माँ सन्तोषी राम–लक्ष्मण एवं सीताजी का मन्दिर है।

सीता कुण्ड का मेला -

जनपद के मुख्यालय में गोमती नदी के तट पर यह स्थान है। यहाँ पर अनेक हिन्दू धार्मिक पर्व पर विशेष – स्नान किया जाता है। इस स्थान पर बनवास जाते समय सीताजी ने स्नान किया था। तभी से इसे सीता कुण्ड जाने लगा।

पहलवान बीरबाबा -

यह स्थान सुलतानपुर नगर के दक्षिण इलाहाबाद मार्ग के निकट पयागीपुर में है। यहाँ पर पहलवान बीर–बाबा की समाधी है। यहाँ प्रत्येक वृहस्पति को हिन्दु, मुसलमान सभी श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।

पाण्डे बाबा का मेला –

सुलतानपुर – आजमगढ़ मार्ग के किनारे 35 कि0 मी0 की दूरी पर बढ़ौना डीह (पाण्डेयबाबा) स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा मंगल पाण्डे की हत्या कर दी गयी थी। मरने के बाद जब उनकी आत्मा ने लोगों को परेशान किया तो लोग उसी स्थान पर चबूतरा बनाकर पूजा करने लगे। यहाँ विजय दशमी दशहरा को मेला लगता है। चढ़ावे के रूप में श्रद्धालु नव उत्पादित धान चढ़ाते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद में सभी धर्मो के लोग अपने–अपने त्योहारों को आपस में मिलजुल कर सौहाद्ध पूर्वक मेला आयोजित कर मनाते हैं।

जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार सुल्तानपुर जिले की कुल आबादी 35,89,569 है जिसमें 1633143 महिलायें एवं 1756426 पुरूष है । पुरूष महिला अनुपात 51.82 तथा 48.18 प्रतिशत है। सुल्तानपुर जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 739896 है जो कि कुल आबादी का 21.82 प्रतिशत है ।

ब्लाकवार जनसंख्या विवरण

क्रमांक	ब्लाक का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या
1.	बल्दीराय	159140	14756
2.	दूबेपुर	178791	30758
3.	कूड़ेभार	168522	33011
4.	कुड़वार	181051	27991
5.	धनपतगंज	151375	33340
6.	जयसिंहपुर	171668	39003
7.	कादीपुर	195704	51186
8.	अखण्डनगर	170975	45726
9.	दोस्तपुर	167755	40464
10.	मोतिगरपुर	दोस्तपुर/कादीपुर में सम्मिलित	-
11.	लम्भुआ	151001	36302
12.	भदैया	155963	34999
13.	प्रतापपुर कमैंचा	113286	24136
14.	अमेठी	105623	20422
15	भेटुआ	289530	18998
16.	भादर	108503	22733
17.	संग्रामपुर	78384	13479
18.	गौरीगंज	125953	33092
19.	शाहगढ़	68098	15227
20.	जामो	144824	44067
21.	मुसाफिरखाना	113399	30006
22.	जगदीशपुर	166001	42943
23.	शुकुल बाजार	132395	36312
24.	नगरक्षेत्र सुल्तानपुर	289530	28966
	योग	**3389569**	**739896**

सारिणी - 1.3

विकास खण्डवार साक्षरता दर -2001 के अनुसार

जनपद- सुल्तानपुर

क्रमांक	ब्लाक का नाम	साक्षर संख्या-2001			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	बल्दीराय	49206	21402	70608	59.30	28.10	43.70
2.	दूबेपुर	61495	23450	84945	66.20	27.30	46.75
3.	कूड़ेभार	59423	54835	114258	67.80	30.10	48.95
4.	कुड़वार	59473	56037	115510	63.80	26.90	45.35
5.	धनपतगंज	49048	45259	94307	62.30	26.90	44.60
6.	जयसिंहपुर	55140	51129	106269	61.90	27.60	44.75
7.	कादीपुर	68360	64132	132492	67.60	30.60	49.15
8.	अखण्डनगर	59409	57255	115664	67.60	26.90	47.25
9.	दोस्तपुर	54468	51889	106357	63.40	28.60	46.00
10.	मोतिगरपुर	सभी आँकड़े मूल विकास खण्ड कादीपुर/दोस्तपुर में समाहित					
11.	लम्भुआ	53036	50701	103737	68.70	28.30	48.50
12.	भदैया	55323	52135	107458	68.90	29.90	49.90
13.	प्रतापपुर कमेंचा	37000	35843	72843	64.30	28.80	46.55
14.	अमेठी	53745	51878	105623	62.30	26.40	44.35
15	भेटुआ	47053	44545	91598	63.10	27.10	45.10
16.	भादर	55051	53452	10850	62.80	26.90	44.85
17.	संग्रामपुर	40108	38276	78384	68.10	28.80	48.45
18.	गौरीगंज	65067	60886	125953	59.90	24.10	42.00
19.	शाहगढ़	34961	33137	68098	58.80	23.60	41.20
20.	जामो	75575	69249	144824	56.90	21.30	39.10
21.	मुसाफिरखाना	58601	54998	113399	57.60	23.40	40.50
22.	जगदीशपुर	87227	78774	166001	54.90	22.10	38.50
23.	शुकुल बाजार	69523	62862	132395	47.20	19.70	33.45
24.	नगरक्षेत्र सुल्तानपुर	**156654**	**132876**	**28953**	**46.70**	**67.90**	**77.30**
स्त्रोत - कार्यालय अभिलेख कार्यालय जिलाधिकारी, सुलतानपुर							

अध्याय– दो
जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद सुल्तानपुर में साक्षरता का स्तर बहुत संतोषजनक नही है। जनपद का साक्षरता स्तर प्रान्त के साक्षरता स्तर से कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 44.45 प्रतिशत थी तथा शहरी क्षेत्रों में 77.3 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुरूषों की साक्षरता 62.43 प्रतिशत थी वहीं महिला साक्षरता 36.51 प्रतिशत थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। निम्नलिखित तालिका से प्रान्त की साक्षरता एवं जनपद की साक्षरता का विवरण दृष्टिगोचार हो रहा है।

साक्षरता दर सुल्तानपुर एवं उत्तर प्रदेश

सारिणी नं. 2.1

क्रमांक	विवरण	साक्षरताप्रतिशत सुल्तानपुर
1	कुल साक्षरता	47-27%
2	ग्रामीण साक्षरता	44.47%
3	नगरीय साक्षरता	77.3%
4	पुरुष साक्षरता	64.5%
5	महिला साक्षरता	30.04%
6	पुरुष साक्षरता { ग्रामीण}	62.43%
7	महिला साक्षरता { ग्रामीण}	26.51%
8	पुरुष साक्षरता { शहरी}	86.7%
9	महिला साक्षरता { शहरी}	67.9%

इस प्रकार जनपद की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत के सापेक्ष 47.27 प्रतिशत है।

जनपद सुल्तानपुर में डी. पी. ई. पी. .III योजना लागू होने के उपरान्त साक्षरता के स्तर में आशातीत सुधार हुआ है। विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में शिक्षा की पहुंच के विस्तार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये संचालित कार्यक्रमों के फलस्वरूप वृद्धि हुई है। यदि ऐसी योजनाएं आगामी दस वर्षों तक संचालित होती रहें तो प्रान्त में सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जनपद हो जायेगा। ध्यातव्य है कि जनपद सुल्तानपुर में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट लिटरैसी प्रोग्राम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो चुका है। जनपद की कुल जनसंख्या में विकास खण्डवार साक्षरता दर निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है।

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र के कुल बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों की संख्या २।०। है। कुल मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या २५० है। जनपद में कुछ अमान्य प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिनकी संख्या लगभग 78 है।

इस प्रकार से ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या २६९ तथा २८ निर्माणाधीन है। कुल मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या २२। है। जनपद में कुछ अमान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिनकी संख्या ९७ है।

उपर्युक्त विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, डिग्री कालेज आदि का विवरण निम्न लिखित दो तालिकाओं से स्पष्ट है।

सारिणी 2.3

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (दिनांक 30.09.03 तक)

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	बल्दीराय	106	-	106	11	-	11	3	-	3
2.	दूबेपुर	106	-	106	29	-	29	8	-	8
3.	कूड़ेभार	106	-	106	18	-	18	4	-	4
4.	कुड़वार	115	-	115	14	-	14	2	-	2
5.	धनपतगंज	94	-	94	15	-	15	6	-	6
6.	जयसिंहपुर	114	-	114	16	-	16	5	-	5
7.	कादीपुर	154	-	154	25	-	25	11	-	11
8.	अखण्डनगर	122	-	122	09	-	09	01	-	01
9.	दोस्तपुर	116	-	116	07	-	07	01	-	01
10.	मोतिगरपुर	दोस्तपुर एवं कादीपुर में सम्मिलित								
11.	लम्भुआ	114	-	114	16	-	16	04	-	04
12.	भदैया	91	-	91	15	-	15	03	-	03
13.	प्रतापपुर कमैचा	78	-	78	15	-	15	06	-	06
14.	नगर क्षेत्र	-	30	30	-	42	42	-	24	24
15-24	छ.शा.म. नगर	755	-	755	98	-	98	131	11	142
	योग-	2071	30	2101	288	42	330	185	35	220

स्त्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर

सारिणी 2.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (दिनांक 30.09.03 तक)

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	बल्दीराय	17	-	17	10	-	10	03	-	03
2.	दूबेपुर	15	-	15	14	-	14	02	-	02
3.	कूड़ेभार	09	-	09	15	-	15	06	-	06
4.	कुड़वार	20	-	20	13	-	13	04	-	04
5.	धनपतगंज	18	-	18	08	-	08	01	-	01
6.	जयसिंहपुर	14	-	14	11	-	11	03	-	03
7.	कादीपुर	16	-	16	22	-	22	12	-	12
8.	अखण्डनगर	14	-	14	15	-	15	08	-	08
9.	दोस्तपुर	13	-	13	16	-	16	06	-	06
10.	मोतिगरपुर	दोस्तपुर एवं कादीपुर में सम्मिलित								
11.	लम्भुआ	11	-	11	10	-	10	04	-	04
12.	भदैया	15	-	15	12	-	12	03	-	03
13.	प्रतापपुर कमैचा	09	-	09	07	-	07	01	-	01
14.	नगर क्षेत्र	-	05	05	-	12	12	-	08	08
15-24	छ.शा.म. नगर	120	-	120	56	-	56	26	-	26
	योग-	**288**	**05**	**293**	**209**	**12**	**221**	**79**	**08**	**87**

स्त्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता-सुल्तानपुर

सारिणी-2.5

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			अमान्य संस्थायें		
		ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	2171	30	2101	248	42	290	2319	72	2391	185	35	220
2.	माध्यमिक विद्याल से सम्बद्ध प्रा.वि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	288	5	293	209	12	221	463	17	480	79	8	87
4.	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	01	01	02	–	–	–
5.	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	01	–	01	–	–	–
6.	हाईस्कूल	–	–	–	–	–	–	71	03	74	03	02	05
7.	इण्टर कालेज	–	–	–	–	–	–	89	09	98	1	2	3
8.	डिग्री कालेज	–	–	–	–	–	–	08	03	11	–	–	–
9.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	–	–	–	02	03	05	–	–	–
10.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	तकनीकी संस्थान/बी.टेक./आई0टी0आई0/ पालीटेक्निक	–	–	–	–	–	–	03	02	05	–	–	–
12.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	06	11	17
13.	आंगनबाड़ी केन्द्र	–	–	–	–	–	–	1840	–	1840	–	–	–
14.	मकतब /मदरसा	–	–	–	–	–	–	159	09	168	14	09	23
15.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	अंधे एवं विकलांग विद्यालय	–	–	–	–	–	–	05	–	05	–	–	–
17.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थ्ज्ञान	–	01	01	–	–	–	–	01	01	–	–	–
18.	बी.आर.सी.	–	–	–	–	–	–	23	–	23	–	–	–
19.	एन0पी0आर0सी0	–	–	–	–	–	–	187	–	187	–	–	–

सारिणी 2.6

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (जून 2003)
हाऊस होल्ड सर्वे

क्रमांक	नाम ब्लाक	6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बल्दीराय	1380	1347	2747	578	844	1422
2.	दूबेपुर	1468	1379	2847	263	314	577
3.	कूड़ेभार	3387	3493	6880	105	129	234
4.	कुड़वार	2829	1983	4812	325	425	750
5.	धनपतगंज	1514	1538	3052	101	107	208
6.	जयसिंहपुर	1262	1221	2483	139	64	203
7.	कादीपुर	499	620	1119	198	243	441
8.	अखण्डनगर	1781	1519	3300	243	179	422
9.	दोस्तपुर	896	822	1718	113	116	219
10.	मोतिगरपुर	451	667	1118	503	463	966
11.	लम्भुआ	473	294	767	837	187	1024
12.	भदैया	2823	2432	5255	245	364	609
13.	प्रतापपुर कमैचा	1980	1939	3919	121	204	325
14.	नगर क्षेत्र	137	108	245	92	82	174
15-24	छ.शा.म. नगर	15385	14309	70032	4711	5356	10067
	योग-	**36319**	**33643**	**29664**	**8574**	**9077**	**17651**

स्त्रोत - कार्यालय अभिलेख, सुल्तानपुर

जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर.: प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर

क्रमांक	वर्ष	जी.ई.आर.	एन.ई.आर.
1.	2001-02	74.87	69.35
2.	2002-03	80.34	76.93

स्त्रोत - कार्यालय अभिलेख, सुल्तानपुर

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन

सारिणी–2.11

वर्ष	नामांकन			गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002-03	29873	27280	57153	-	-	-
2003-04	31186	28975	60162	1.04	1.04	1.05
2004-05	33654	32524	66178	1.07	1.12	1.09
2005-06	36997	35798	72795	1.09	1.10	1.09
2006-07	40256	39919	80175	1.08	1.11	1.10

जनपद सुल्तानपुर में 2000–01 से डी.पी.ई.पी. तृतीय से संचालित है । 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान भी लागू हो गया है । इस विविध कार्यक्रमों के कारण नामांकन में पर्याप्त सुधार हुआ है । वर्ष 2003–04 में गत वर्ष के सापेक्ष 1.04 प्रतिशत बालकों में तथा 1.06 बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा कुल मिलाकर 1.05 प्रतिशत नामांकन में वृद्धि हुई है ।

सारिणी–2.11

प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में ट्रांजिशन दर

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रांजिशन दर
2001–02	68348	31612	46.25 प्रतिशत
2002–03	70024	33891	48.04 प्रतिशत

डी.पी.ई.पी. लागू होने के पश्चात् वर्ष 2001–02 के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में ट्रांजिशन दर में 2.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

सारिणी – 2.13
शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत शिक्षकों की संख्या निम्नवत है–

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 30.8.2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या	कार्यरत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	6455	4315	2266	3130	1338
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1290	1086	204	–	–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अन्तर्गत कुछ विद्याकेन्द्र एवं शिक्षा केन्द्र संचालित हैं इनका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं–

क्रम सं0	वर्ष	स्वीकृति संख्या		संचालित संख्या	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र
1.	1997 से 2003 तक	50	50	50	47
		50	50	50	47

सारिणी 2.15

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	प्राथमिक विद्यालय			शिक्षा मित्र		उच्च प्राथमिक विद्यालय			
		सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत सं.	कार्यरत सं.	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
1.	बल्दीराय	-	249	-	57	56	-	65	-	-
2.	दूबेपुर	-	197	-	43	42	-	92	-	-
3.	कूड़ेभार	-	288	-	83	82	-	51	-	-
4.	कुड़वार	-	229	-	72	71	-	68	-	-
5.	धनपतगंज	-	249	-	60	59	-	41	-	-
6.	जयसिंहपुर	-	190	-	59	58	-	83	-	-
7.	कादीपुर	-	272	-	85	84	-	65	-	-
8.	अखण्डनगर	-	196	-	68	67	-	58	-	-
9.	दोस्तपुर	-	148	-	66	64	-	44	-	-
10.	मोतिगरपुर	-	352	-	दोस्तपुर + कादीपुर			37	-	-
11.	लम्भुआ	-	172	-	88	86	-	54	-	-
12.	भदैया	-	113	-	58	56	-	79	-	-
13.	प्रतापपुर कमैचा	-	254	-	62	61	-	37	-	-
14.	नगर क्षेत्र	-	74	-	-	-	-	31	-	-
15-24	छ.शा.म. नगर	-	1332	-	579	552	-	286	-	-
	योग-	**6455**	**4315**	**2140**	**1380**	**1338**	**1290**	**1086**	**204**	**-**

स्त्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर

सारिणी- 2.16

विकास खण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात परिषदीय प्राथमिक विद्यालय(30.09.03)

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1.	बल्दीराय	106	20984	249	1:84
2.	दूबेपुर	91	16517	197	1:84
3.	कूड़ेभार	122	24804	288	1:86
4.	कुड़वार	115	19447	229	1:85
5.	धनपतगंज	114	22308	249	1:90
6.	जयसिंहपुर	94	16583	190	1:87
7.	कादीपुर	106	20089	272	1:74
8.	अखण्डनगर	114	19193	196	1:98
9.	दोस्तपुर	78	14214	148	1:96
10.	मोतिगरपुर	106	22195	352	1:63
11.	लम्भुआ	80	16095	172	1:94
12.	भदैया	61	10939	113	1:99
13.	प्रतापपुर कमैचा	129	21104	254	1:83
14.	नगर क्षेत्र	30	3949	74	1:53
15-24	छ.शा.म. नगर	755	168830	1332	1:83
	योग-	**2101**	**417251**	**4315**	

स्त्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर

सारिणी- 2.17

विकास खण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (30.09.03)

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1.	बल्दीराय	17	3056	65	1:47
2.	दूबेपुर	16	3802	90	1:41
3.	कूड़ेभार	9	2095	51	1:41
4.	कुड़वार	20	3156	68	1:46
5.	धनपतगंज	18	2537	41	1:62
6.	जयसिंहपुर	14	4715	83	1:57
7.	कादीपुर	16	2444	65	1:38
8.	अखण्डनगर	14	2639	58	1:46
9.	दोस्तपुर	13	2031	44	1:46
10.	मोतिगरपुर	07	1672	37	1:45
11.	लम्भुआ	11	2602	49	1:53
12.	भदैया	15	3258	79	1:41
13.	प्रतापपुर कमैचा	09	1947	37	1:53
14.	नगर क्षेत्र	05	678	31	1:22
15-24	छ.शा.म. नगर	114	23534	386	1:46
	योग-	**293**	**60162**	**1086**	

स्त्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर

सारिणी- 2.18

प्राथमिक अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित ए.आई.ई. केन्द्र / प्राथमिक विद्यालय
ऐसे वस्तियों की सं. जिनकी आबादी 300 से अधिक है ।	4816	1759	07	07 प्रा0वि0
ऐसे ग्रामों, वस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 300 से कम है ।	519	267	254	254 ए.आई.ई.

सारिणी- 2.19

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	प्रस्तावित ए.आई.ई. केन्द्र
ऐसे बस्तियों की सं. जिनकी आबादी 800 से अधिक है ।	2149	462	116 ए.आई.ई. 07 उच्च प्रा0वि0
ऐसे ग्रामों, बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 800 से कम है ।	4893	688	78

सारिणी-2.20

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय)

1. प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	2101
2.	एक कक्षीय विद्यालय	68
3.	दो कक्षीय विद्यालय	1910
4.	तीन कक्षीय विद्यालय	108
5.	चार कक्षीय विद्यालय	

1. नवीन निर्माण - 07
2. पुर्ननिर्माण - 44
3. मरम्मत योग्य विद्यालय : लघु मरम्मत - 376, बृहत्त मरम्मत योग्य- 243
4. शौचालय-शौचालय युक्त विद्यालय - 609, शौचालय विहीन विद्यालय-1492, शौचालयों की आवश्यकता - 1492
5. हैण्ड पम्प-हैण्ड पम्प युक्त - 2101, हैण्ड पम्प विहीन -0, आवश्यकता-0
6. चहार दीवारी - चहार दीवारीयुक्त - 270, चहार दीवारीविहीन- 1831, चहार दीवारी की आवश्यकता- 1831

2. उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	293
2.	एक कक्षीय विद्यालय	4
3.	दो कक्षीय विद्यालय	4
4.	तीन कक्षीय विद्यालय	30
5.	चार कक्षीय विद्यालय	210
6.	पांच कक्षीय विद्यालय	23
7.	पांच से अधिक	22

उच्च प्राथमिक विद्यालय की सं.-293, नवीन निर्माण-07, भवनयुक्त- 293, भवनविहीन-0, जर्जर/पुर्ननिर्माण-21, मरम्मत योग्य: लघु मरम्मत-94, बृहद मरम्मत-63, शौचालय विहीन-112, शौचालय की आवश्यकता-112, हैण्डपम्प विहीन-123, हैण्ड पम्प की आवश्यकता-78, चहार दीवारी विहीन-205 ।

सारिणी 2.20

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र	विवरण	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	DPEPIII/ 11वें वित्त आयोग में जिला प्रावधान/अन्य स्रोत	मांग DPEP के अतिरिक्त	कमी	DPEPIII/ 11वें वित्त आयोग में जिला प्रावधान/अन्य स्रोत	मांग DPEP के अतिरिक्त
1	नवीन विद्यालय	—	—	—	—	—	—
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	५५	—	५५	21	—	21
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर	१९९९	—	१९९९	२९१	—	२९१
4	पेयजल सुविधा	—	—	—	123	—	123
5	शौचालय	१५९२	—	१५९२	112	—	112
	चहारदीवारी	—	—	—	—	—	—

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी / आवश्यकता

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु नवीन विद्यालयों के भवन निर्माण जर्जर भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण , पेयजल सुविधा शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल हेतु प्राविधान किये गये थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित नहीं थे। जनपद सुल्तानपुर में प्रथम वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के कारण प्रथम वर्ष की संख्या को क्षेत्रों से मांग में शामिल नहीं किया गया।

अतः कुल वांछित संख्या में से द्वितीय वर्ष के प्राविधान को घटाकर सर्व शिक्षा अभियान के लिये प्राथमिक विद्यालयों हेतु 55 पुननिर्माण 1711 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 1512 शौचालय, 1631 चहारदीवारी वांछित है।

इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्व शिक्षा अभियान में 21 पुननिर्माण, 211 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 112 शौचालय एवं 123 पेय जल सुविधा की मांग की गयी है।

छात्र नामांकन

जनपद सुलतानपुर में 6—14 वयवर्ग के बच्चों की कुल संख्या 753675 चिहिन्त किये गये हैं जिसमें से 505313 बालक एवं 331361 बालिकाएं है। स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या 87713 स्कूल चलो अभियान के पूर्ण था। दिनांक 30.9.03 तक 82288 बच्चों का नामांकन कराया गया। शेष 5525 बच्चे अभी भी नामांकन हेतु अवशेष हैं जिसके सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव बनाकर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया गया।

सारिणी 2.6

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (जून 2003)

हाऊस होल्ड सर्वे

क्रमांक	नाम ब्लाक	6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बल्दीराय	1380	1347	2747	578	844	1422
2.	दूबेपुर	1468	1379	2847	263	314	577
3.	कूड़भार	3387	3493	6880	105	129	234
4.	कुड़वार	2829	1983	4812	325	425	750
5.	धनपतगंज	1514	1538	3052	101	107	208
6.	जयसिंहपुर	1262	1221	2483	139	64	203
7.	कादीपुर	499	620	1119	198	243	441
8.	अखण्डनगर	1781	1519	3300	243	179	422
9.	दोस्तपुर	896	822	1718	113	116	219
10.	मोतिगरपुर	451	667	1118	503	463	966
11.	लम्भुआ	473	294	767	837	187	1024
12.	भदैया	2823	2432	5255	245	364	609
13.	प्रतापपुर कमैचा	1980	1939	3919	121	204	325
14.	नगर क्षेत्र	137	108	245	92	82	174
15-24	छ.शा.म. नगर	15385	14309	70032	4711	5356	10067
	योग-	**36319**	**33643**	**29664**	**8574**	**9077**	**17651**

स्त्रोत - कार्यालय अभिलेख, सुल्तानपुर

अध्याय– तीन

नियोजन प्रक्रिया

संविधान की धारा 45 में हमारे संविधानविदों ने एक सपना संजोया था कि समस्त 6से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में डी.पी.ई.पी. के तहत समस्त 6–11 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11–14 वय वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को भी निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षक अभिभावक एवं जागरूक नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय लाना है।

नियोजन प्रक्रिया में हमें पंचायत राज संस्थाओं को भी सहभागी बनाना होगा तथा सबसे निचले स्तर पर संस्थाओं का भी सहयोग लेना होगा।

ग्राम स्तर पर नियोजन

इस स्तर पर हमने ग्राम तथा वस्ती के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वय वर्ग के बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया। इस स्तर के नियोजन में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया।

1 6–14 वय वर्ग के कुल बालक/ बालिकाओं की संख्या।

2 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।

3 विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

4 विद्यालय न जाने का कारण।

5 क्या गांव में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र है, यदि नहीं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आश्यकता है।

6 यदि प्रा. वि. है तो क्या उसके पास भवन या भौतिक संसाधन उपलब्ध है। यदि नहीं तो इसके सुधार के लिये ग्राम वासियों के क्या सुझाव है।

7 यदि ग्राम में मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नही है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।

8 क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या 40:1 के अनुसार है।

9 क्या विद्यालय में अध्यापक नियमित रूप से आते हैं।

10 शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

उपर्युक्त विचार विमर्श के पश्चात ग्राम के उत्साही नवयुवकों, बुद्धिजीवियों तथा शिक्षकों द्वारा मिल जुल कर उक्त ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण में निम्न सूचनाएं प्रयुक्त हुई।

1 बस्ती/ मजरे की पूर्ण संख्या।

2 विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।

3 लिंगवार जन संख्या।

4 स्कूल जाने वाले/ न जाने वाले बच्चों की संख्या।

5 बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी।

6 विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी।

7 बालिका शिक्षा की स्थिति।

स्कूल चलो अभियान –

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाउस होल्ड सर्वेक्षण में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन हेतु शासन के निर्देशानुसार जुलाई 2003 में "स्कूल चलो अभियान" चलाया गया जिससे जनपद के नामांकन का दर 5 प्रतिशत बढ़ गया। इस अभियान के अन्तर्गत किये गये विविध कार्यक्रमों में अन्य विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों/सदस्यों, ग्राम/विकास खंड/विधान सभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र स्तरीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया।

इस अभियान के अन्तर्गत 30–6–2003 को विकास भवन के सभागार में उपर्युक्त समस्त प्रकार के लोगों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा स्कूल चलो अभियान

के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी। उसी दिन विकास भवन के सभागार में ही पत्रकार वार्ता जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत किये गये कार्यक्रम निम्नवत् रहे –

1. ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा 6–11 वय वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले एवं ड्राप आउट बालक/बालिकाओं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन।
2. ग्राम स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन।
3. विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों के संचालनार्थ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व निर्धारण।
4. कक्षा 1 – 5 तक 6–11 आयु वर्ग के चिन्हित बच्चों का नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश।
5. विद्यालयों में प्रविष्ट छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण।
6. स्कूल चलो अभियान की समीक्षा।

सारिणी – 3.1

स्कूल चलों अभियान के अनतर्गत नामांकन

जनपद	6–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल चलो अभियान से पूर्व नामांकन			31–08–2003 तक नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	य
सुल्तानपुर	405313	331361	756674	44993	42720	87713	375091	325142	700233	417282	365259	7

नोट : 5425 बच्चे नामांकन हेतु अवशेष।

स्रोत– विभागीय आंकड़ें

स्कूल चलो अभियान के लाभों को देखते हुए इसे सर्व शिक्षा अभियान में भी जारी रखा जायेगा।

सारिणी- 3.2

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2003 - एक संकलन

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग के बच्चे									11-14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की सं.			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की सं.			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने दाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
.	बल्दीराव	13033	11303	24336	12745	10786	23511	1360	1347	2727	6667	5669	12316	6079	4813	10892	578	844	1482
.	दूबेपुर	16110	14453	30563	15579	13832	29411	1468	1379	2847	9009	7562	15571	8746	7248	15994	263	314	577
.	कूडेभार	8895	8774	17669	8825	8690	17515	3387	3493	6880	2670	2704	5374	2565	2575	5140	105	129	234
.	कुड़वार	14344	12132	26476	13401	11849	25250	2829	1983	4812	6994	6022	13016	6669	5595	122264	325	425	750
.	धनपतगंज	12434	10626	23060	12326	10502	22828	1514	1358	3052	4322	3586	7907	4221	3478	7699	101	107	208
.	जयसिंहपुर	14879	12236	27115	14799	12180	26979	1262	1221	2483	7070	7373	14443	6931	7309	14240	139	64	203
	कादीपुर	16192	14323	30515	15693	13703	29396	499	620	1119	9120	7596	16716	8922	7353	16275	198	243	44
	अखण्डनगर	15215	13696	28911	14613	13306	27918	1781	1519	3300	7195	6286	13482	6661	6107	13058	243	179	422
	दोस्तपुर	9911	8447	18358	10702	9206	19908	956	822	1718	5219	6422	11641	5106	4250	9356	113	116	229
.	मोतिगरपुर	6760	6375	13136	6610	5830	12440	451	667	1118	4536	3768	8303	4032	3305	7337	504	463	966
.	लम्भुआ	14860	12594	27454	14589	12054	25743	473	294	767	7884	6960	14864	7047	6793	13840	837	187	1024
.	भदेया	11298	9885	21183	10312	8761	19073	2823	2432	5255	5399	4569	10968	5154	4205	9369	245	364	609
	प्रतापपुर कमैचा	10699	9376	20075	10168	8820	18988	1980	1939	3919	4849	3628	8777	4728	3724	8452	121	204	325
	नगर क्षत्र	4220	3866	8086	4112	3682	7794	7137	108	245	2560	2344	4904	2468	2262	4730	92	82	174
24	छ.शा.म. नगर	104114	88008	192122	88729	73729	162458	15385	14309	29694	46362	35296	81658	41651	29940	71591	4711	5336	10047
	योग-	289702	250742	540444	253383	217029	470412	36319	33643	70032	129644	108034	237878	121270	98957	220227	8574	9077	17651

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण -

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन करते समय जनपद के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण ाया गया जिससे स्कूल जाने वाले, एवं स्कूल न जाने वाले 6-11 वय वर्ग 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्य रूप से लगाया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का

सहयोग भी प्राप्त किया गया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल न जा के चार महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की गयी तथा 6–14 वय वर्ग के बच्चें का इ चार वर्गों में विभाजन भी किया गया है। ये चार कारण निम्नवत् हैं–

(1) अपने घरेलू कार्यों में लगे रहना।

(2) मजदूरी में लगे रहना।

(3) छोटे भाई–बहनों की देखभाल।

(4) विद्यालय की अनुपलब्धता।

(5) अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं–

सारिणी संख्या 3.3

क्र.	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	2062	2340	2040	2410	2968	3617	7070	8367	15437
2.	मजदूरी में लगे रहना	147	116	402	406	1219	491	1768	1013	2781
3.	भाई–बहनों की देखभाल	2546	2100	2173	2817	1097	1768	5755	6685	12440
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	3040	3044	299		319	352	3658	3396	7054
5.	अन्य कारण	20151	17592	3600	2519	2971	2849	26722	22960	50001
	योग	27946	25792	8514	8152	8574	9007	44973	42740	87713

सर्व शिक्षा अभियान हेतु नियोजन

इस दिशा में निम्नांकित प्रयास किये गये।

1 नियोजन टीम का गठन।

2 ग्राम स्तर पर बैठकें।

3 विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक।

4 जिला स्तर पर बैठक तथा विभिन्न विभागों से समन्वय/सम्पर्क।

5 F.G.D. (Foucs Group Diseusson) टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

1. नियोजन की टीम का गठन

जनपद सर्वप्रथम इस अभियान को पूर्ण रूप देने के लिये 10 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया। जिसमें चार जिला समन्वयक, एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, 3 पति उपविद्यालय निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।

2. ग्राम स्तर पर बैठक

ग्राम स्तर पर उक्त नियोजन टीम द्वारा बैठक की गयी, जिसमें जन समुदाय को सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं महत्वपूण विन्दुओं पर बताया गया। यह भी चर्चा की गयी कि जनसमुदाय इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, बी.डी.सी. सदस्यों तथा शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन व्यक्तियों का सहयोग सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु किया जा रहा है।

3. विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक

इस स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी, ब्लाक प्रमख, जिला पंचायत सदस्य, बी.डी. सी. सदस्य, ग्राम प्रधानों, शिक्षक समुदाय, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक समन्वयक बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. ने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग किये गये लोगों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व पर विचार विमर्श किया गया।

4. एफ0जी0डी0 (फोकस ग्रुप डिस्कशन)टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के रूप में जिले में विभिन्न ग्राम स्तर पर बैठकें की गयी जिसमें क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. प्राथमिक, पूर्व मा. विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रति निधियों एवं उपस्थित नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला।

ग्राम स्तर पर हुई उक्त बैठकों से सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन समुदाय की अपेक्षाओं को जानने में मदद मिली और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी उक्त अभियान में अपनी भूमिका स्पष्ट हुई।

नियोजन में जनसमुदाय की सहभागिता हेतु हुई F.G.D. का विवरण निम्नवत है।

सारणी– 3.4

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
16–12–2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र बल्दीराय	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–1 , क्षेत्रीय सहायक बे0 शि0 अधिकारी प्रति उ0 वि0 नि0, वी. आर. सी. समन्वयक, सह समन्वयक, क्षेत्र पंचायत सदस्य, अध्यापक दस, ग्राम प्रधान तथा स्थानीय नागरिक। अभिमानक – 06	1. सर्व शिक्षा अभियान में 1:40 के अनुसार अध्यापकों/ शिक्षा मित्रों की पूर्ति। 2. बालिकाओं विशेषकर किशोर वय 11 से 14 वय वर्ग को पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। 3. स्कूल त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालयों में नामांकन। 4. सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य एवं लागू करने के तरीकों पर विचार विमर्श। 5. 6–14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में नामांकित किया जाय।
19–11–2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र भदैया	जि0 बे0 शिक्षा अधिकारी, क्षे0 सहायक बे0 शि0 अधिकारी, प्रति उ0वि0 निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, समन्वयक–14, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बी. डी.सी सदस्य	1. विद्यालय में बच्चों के ठहराव के सम्बन्ध में। 2. असेवित बस्ती जहां मानक के अनुसार विद्यालय नहीं खोले जा सकते वहां शिक्षा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में। 3. 40:1 के अनुपात में शिक्षक/ शिक्षा मित्र की उपलब्धता। 4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की परिधि में पूर्व मा0 वि0 के छात्रों को भी शामिल करने पर विचार विमर्श।

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
20–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र प्रतापपुर कमैचा	उप बे0 शि0 अधि0, सहायक बे0 शि0 अधि0 प्र0 उ0 वि0 नि0, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य।	1.अल्प संख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की रणनीति, ऐसे समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना जो घुमन्तु जातियों के हैं।
21–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र लम्भुआ	उप बे0 शि0 अधि0, सहायक बे0 शि0 अधि0 प्र0 उ0 वि0 नि0, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य।	1. असेवित बस्तियों में विद्यालय की आवश्यकता पर विचार विमर्श। 2. विद्यालय भवनों तथा उनमें भौतिक संसाधनों की पूर्ति पर विचार विमर्श। 3. अनुसूचित जाति, गरीब वर्ग के बच्चों व बालिकाओं की शिक्षा पर विचार। 4. अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागृत करना तथा स्कूल त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय में नामांकन।
22–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र कादीपुर	जि0 बे0 शि0 अधि0 शिक्षा अधीक्षक, उप बे0 शि0 अधि0 सभासद, नगर अध्यक्ष, अध्यापक	1. सभी विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के के लिये अतिरिक्त कक्ष बनाने पर विचार विमर्श। 2. 6–14 वय वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश कराने का सुझाव।

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
23–11–07	ब्लाक संसाधन केन्द्र अखण्डनगर	खण्ड वि0 अधि0, ब्लाक प्रमुख, सहा0 बे0 शि0 अधि0 प्रति0 उ0 वि0 नि0 ब्लाक समन्वयक, स्वयं सेवी संस्थान की अध्यक्षता सुश्री उर्मिला यादव।	. अल्प संख्यक, एवं अनु0 जाति बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। 2. छात्र संख्या के अनुसार अध्यापक / शिक्षा मित्र की पूर्ति 40:1 के अनुपात में की जाय। 3. अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण।
24–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र दोस्तपुर	खण्ड विकास अधि0 ब्लाक प्रमुख, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान, शिक्षक, समुदाय, अल्प संख्यक समुदाय, अनु जाति समुदाय।	1. ग्राम प्रधानों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अध्यापिकाओं की मांग किया। 2. अल्प संख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।
25.11.01	ब्लाक संसाधन केन्द्र अमेठी	सहायक बे0 शि0 अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी समन्वयक, अध्यापकगण, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख	1. सर्व शिक्षा अभियान में 1:40 के अनुपात में शिक्षक/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति। 2. पूर्व मा0 वि0 में एक अनुभाग पर 1.5 अध्यापक के अनुसार पर बल दिया गया। 3. मकतब/मदरसों के छात्र/छात्राओं को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के तरीकों पर विचार विमर्श।
26–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र शुकुलबाजार	ब्लाक प्रमुख, विकास अधिकारी, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, बी. डी.सी. सदस्य, शिक्षक समुदाय	1. बच्चों के बैठने के लिये टाट–पट्टी की व्यवस्था। 2. अध्यापकों की कमी की पूर्ति एवं बैठने के लिये कुर्सी की व्यवस्था। 3. विकलांग शिक्षा एवं बालिका शिक्षा पर विचार विमर्श।

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
27–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र शाहगढ़	खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, बी.डी.सी. सदस्य, शिक्षक समुदाय।	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर विचार विमर्श। 2. विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय। 3. पूर्व मा.वि. में भी अनुभाग के अनुसार एक अनुभाग पर 1.5 अध्यापक की नियुक्ति पर विचार विमर्श
28–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र धनपतगंज	ग्रामवासी – 10 अधिकारी – 2 बी0आर0सी0 एन0पी0सी0 ए0वी0आर0पी0 अन्य	1. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3. शिक्षा के समय दस्तकारी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।
29–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र संग्रामपुर	ग्रामवासी – 10 अधिकारी – 2 बी0आर0सी0 एन0पी0सी0 ए0वी0आर0पी0 अन्य	1. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3. शिक्षा के समय दस्तकारी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।
01–12–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र गौरीगंज	ग्रामवासी – 10 अधिकारी – 2 बी0आर0सी0 एन0पी0सी0 ए0वी0आर0पी0 अन्य	1. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3. शिक्षा के समय दस्तकारी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
03–12–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र कुड़वार	नगरपालिका अध्यक्ष शिक्षा अ0/अभिभावक बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 अन्य	1. अध्यापकों/अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना। 2. सतत् मूल्यांकन अभव 3. निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी 4. सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव
04–12–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र कूरेभार/जयसिंहपुर	ब्लाक प्रमुख स0बे0शि0 अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अन्य	1. अध्यापकों का कम ठहराव 2. शिक्षण कार्य में कम रूचि 3. शिक्षकों का अभाव
06–12–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र मुसाफिरखाना	ब्लाक प्रमुख ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान वी.आर.सी. वी.डी.सी. एन.डी.आर. की जन प्रतिनिधि (अल्पसंख्यक)	1. अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु प्रा0 स्तरयी शिक्षा। 2. अनु0 जाति के बच्चों की शिक्षा पर बल दिये जाने की आवश्यकता 3. छोटे भाई–बहनों देखभाल करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा।

सारिणी – 3.5

जनपद स्तर पर नियोजन हेतु बैठक

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
09–11–2001	शिविर कार्यालय जिलाधिकारी सुल्तानपुर	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं डी.पी.ई.पी के अधिकारियों के साथ। खण्ड विकास अधिकारी 22	1. सर्व शिक्षा अभियान के विषय में चर्चा की गयी तथा पर्सपेक्टिव प्लान बनाने हेतु रणनीति तय की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि नपद में इस योजना का ग्राम स्तर तक प्रचार–प्रसार किया जाय।
12–11–2001	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के साथ। जिला समन्वयक ब्लाक समन्वयक	सर्व शिक्षा अभियान के विषय में जानकारी दी गयी। पर्स पेक्टिव प्लान बनाने हेतु आधारभूत सूचनाओं का प्रपत्र वितरित करते हुये उन्हें भरने का विधिवत् प्रशिक्षण दिया गया। सूचनाएं 23–11–2001 की बैठक में लाने को कहा गया प्रचार प्रसार हेतु न्याय पंचायत स्तर पर पूरे जनपद में एक साथ दिया गया।
23–11–2001	तदैव	तदैव	सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित सूचनाओं के निर्माण में जो संदेह के विन्दु उभरे हैं उनका निराकरण किया गया।
28–11–2001	तदैव	जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी (बेसिक) सहायक लेखाधिकारी, डी0पी0ई0पी0	1. शिक्षा में गुणक्तापरक सुधार आपेक्षित 2. असेवित वस्तियों में वै.शि. केन्द्र खोले। 3. सिख कालोनी में शिक्षा की व्यवस्था। 4. बाढ़ग्रस्त इलाके में शिक्षा की पूर्णता व्यवस्था करना। 5. ईंट भट्ठा पर कार्यरत बाल श्रमिक हेतु वै.शि. की व्यवस्था

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
04–12–2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	ए.डी. बेसिक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ।	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उनके द्वारा प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। डी. पी. ई. पी. के अनुभवों के आधार पर उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया।
11–12–2001	तदैव	बी. आर. सी. / एन. पी. आर. सी. के समन्वयकों के साथ।	शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार के विषय में विस्तार से चर्चा की गयी। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विज कोर्स एवं ई. जी. एस. के लिए स्थल चयन हेतु वस्तियों का सूची करण का कार्य किया गया।
12–12–2001	विकास भवन सभागार	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी वी. एल. पी. से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी सचिव, बी. एल. पी. आदि के साथ।	सर्वसम्बन्धित को सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्सपेक्टिव प्लान में डी. डी. ओ. बी. डी. ओ. एवं सचिव पी. एल. पी. का सहयोग लिया जाय।
13–12–2001	सभाकक्ष कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के साथ।	सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान को अन्तिम रूप दिया गया।
14–12–2001	विकास भवन	डी. डी. ओ., बी. डी. ओ. सचिव, पी. एल. पी. एन. जी. ओ. एस. के प्रतिनिधि पत्रकार आदि।	सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में बनाए गये पर्सपेक्टिव प्लान के प्राविधानों की जानकारी देते हुये उस पर आम सहमति प्राप्त की गयी।
10.05.03	जिला बेसिक शिक्षा, कार्यालय	समस्त ए0बी0एस0ए0 /बी0आई/ जिला समन्वयक/एवं डायट तथा बी0आर0सी0/ एवं एन0पी0आर0सी0	सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में हाउस होल्ड सर्वे कराने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देश एवं प्रारूप पर विस्तृत जानकारी दी गई, विचार विमर्श किया गया।
16.05.2003	ब्लाक संसाधन केन्द्र	ए0बी0एस0ए की अयक्षता में समस्त बी0आर0सी0/ एवं एन0पी0आर0सी0 तथा सम्मानित शिक्षक गण	सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में हाउस होल्ड सर्वे कराने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देश एवं प्रारूप पर विस्तृत जानकारी दी गई, विचार विमर्श किया गया।

अध्याय– चार

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यः–

सभी के लिये शिक्षा विषय पर सेनेगल के डकार नामकार स्थान में अप्रैल 2000 में एक बेठक हुई जिसमें एन. ई. एफ. के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में शिक्षा को मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। डकार सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सन 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया :–

1– अपवंचित वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधाओं का विस्तार।

2– विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं को 2015 तक उत्तम गुणवत्ता की निःशुल्क एवं पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इनमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान अपेक्षित होगा।

3– युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को सन् 2015 तक जीवनोपयोगी एवं उचित अधिगम हेतु योजनाएं बनाना।

4– सन् 2015 तक कम से कम 50 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना जिसमें बेसिक एवं सतत शिक्षा के माध्यम से युवाओं एवं प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

5– सन् 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंगानुपात में अन्तर को समाप्त किया जाना जिसमें बालिकाओं के उत्तम गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाय।

6– सन् 2015 तक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा साक्षरता गणितीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षा को प्राप्त करना तथा सबके द्वारा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसका स्वयं परिचय एवं गायन हो।

उक्त लक्ष्यों को ' डकार गोल' के नाम से अभिहित किया गया। डकार गोल को सन् 2015 तक प्राप्त करने का निर्णय किया गया था जब कि भारत में ' सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को 2010 तक प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सबको शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति निर्धारित की गयी है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रम पूरे देश में लागू किये जा रहे हैं। समस्त उद्देश्य के पूर्ति के लिये पूरे देश में एक स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान लागू करने की शासन द्वारा एक परिकल्पना की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न लिखित है।

उद्देश्यः–

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के निम्न लिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

1– 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत खुले केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय में छात्रों का नामांकन।

2– 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी बच्चे पूरी करें।

3– 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी करें।

4– नामांकित सभी बच्चों को संतोषजनक एवं गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5– प्राथमिक स्तर पर 2007 तक सामाजिक विषमताओं को तथा जेण्डर {लिंग} भेद को समाप्त करना।

6– 2010 तक शत् प्रतिशत सबको शिक्षित करना सुनिश्चित किया जाना।

सव शिक्षा आभयान के लक्ष्यः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा आठ तक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1– सन् 2003 तक सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक विद्या केन्द्र बैक टू स्कूल शिविर { वापस स्कूल चलो कैम्प} आदि में शत् प्रतिशत नामांकन कराना।

2– सन् 2007 तक समस्त नामांकित बच्चों को कक्षा पांच तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।

3– सन् 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

4– गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5– समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य तथा बालक बालिका में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर भेद–भाव समापत करना।

6– सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।

7– सन् 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उपुर्यक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को अंगीकार करते हुये जनपद प्रतापगढ़ के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो निम्नवत है।

नामांकन के लक्ष्यः–

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की जनगणना की वार्षिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत है जबकि सन् 1991 की जनगणना में यह दर 2.0 प्रतिशत थी। इस वार्षिक वृद्धि दर में वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की अपेक्षित कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

सारिणी–4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन.ई.आर.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002-03	199263	198963	398226	194637	192637	387274	97.25
2003-04	289702	250742	540444	287384	248736	536120	99.20
2004-05	297629	255784	253414	297629	255784	297629	100.00
2005-06	303749	262946	566695	303749	262946	566695	100.00
2006-07	310339	269957	580276	310339	269957	580276	100.00

सारिणी–4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			एन.ई.आर.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002-03	126727	105441	232168	122090	103414	225504	97.13
2003-04	129884	108034	237878	128615	106645	235261	98.90
2004-05	132661	110926	243587	132010	110846	242856	99.50
2005-06	135844	113589	249433	135644	113287	248981	99.80
2006-07	139105	116314	255419	139105	116314	255419	100.00

वर्ष 2001 की जनगणना की विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/ पगाशी अनुसूचित, जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े प्राप्त हैं तथा उनका समावेश प्राथमिक स्तर पर 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

कुल नामांकन में कुछ कम उम्र के बच्चे तथा कुछ अधिक आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे इस लिये जी. ई. आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। नामांकन के लक्ष्य में यह भी उल्लिखित है कि प्राथमिक स्तर पर सन् 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 के बाद जी. ई. आर में वृद्धि कम होगी। क्योंकि 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष के वय वर्ग में जितने बच्चे बढ़ेंगे, उतने ही बच्चें नामांकन में भी बढ़ेगे।

ठहराव के लक्ष्य–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा सन् 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत हैं।

सारणी 4.3

प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर (प्रस्तावित)

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
2002–03	39	61
2003–04	30	70
2004–05	18	82
2005–06	10	90
2006–07	0	100

सारणी 4.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर (प्रस्तावित)

वर्ष	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
2002–03	30	70
2003–04	22	78
2004–05	13	87
2005–06	8	92
2006–07	0	100

परियोजना क्रियान्वयन के समय जिले में ड्राप–आउट के सम्बन्ध में कोई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करके इस विधा को समाप्त करने में ठोस कदम उठाया जायेगा।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कला जत्था के कार्यक्रम, मीना कैम्पेन, ठहराव परिक्रमा, तारांकन, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, माता शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ/ महिला प्रेरका दल का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय– पांच

समस्याएं एवं रणनीतिः–

जनपद सुलतानपुर में विभिन्न स्तरों से कराये गये सर्वेक्षण, अधिकारिक गोष्ठियां, ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषण से उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एवं संतुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमें मुख्य समस्याएं छात्र नामांकन, बच्चों का विद्यालय में ठहराव, अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्तियां, विद्यालय भवन का पुनर्निमाण नवीन भवन निर्माण, हैण्ड पम्पों की स्थापना एवं मरम्मत शौचालयों का निर्माण एवं रख–रखाव विद्यालय प्रांगण की सजावट से सम्बन्धित समस्याएं उभर कर सामने आयी हैं।

उपर्युक्त समस्याओं को विद्यालय स्तर पर क्षेत्र स्तर पर एवं जनपद स्तर पर दूर करने हेतु जो रणनीति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित की गयी

है वह निम्नवत है।	निराकरण के उपाय
1– आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	इस कार्य के निमित्त महिला मंगल दल, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री, ए. एन. एम, कल जत्था द्वारा जनसम्पर्क करना तथा ग्राम्य शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
2– शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध	छात्रों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास करने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा, कार्यानुभव योजना लागू की जाय, बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरीय क्षेत्रों

	में ब्यूटी पार्लर, फाइन आर्ट, चटाई निर्माण बैग बनाने का प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध देना, सिलाई कढ़ाई के लिये ग्रामीण अंचलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध छात्रों की रूचि के अनुरूप सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था की जाय, कढ़ाई के लिये बुनाई मशीन की व्यवस्था की जायेगी उनके रख–रखाव पर व्यय विद्यालय को प्राप्त अनुदान से करायी जायेगी।
3– असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय की सुविधा न होना।	डेढ़ किलो मीटर की दूरी तथा 300 की आबादी वाले बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत एक किमी की दूरी पर 6–8 आयु वर्ग के बच्चों हेतु विद्या केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है। 9–14 आयु – वर्ग के बच्चों के लिए ए. आई. ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। घनी बस्तियों में स्थित विद्यालयों में द्विपाली योजना।
4– भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के शैक्षिक अवरोध	नदी–नाले जंगल, झील, रेलवे लाइन आदि के कारण विद्यालय तक छात्रों के न पहुंच पाने के कारण शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नवाचार शिक्षा केन्द्र छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जायेंगे।

5– विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा– कक्षों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, शौचालय तथा चहारदीवारी की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिये छात्र संख्या के आधार पर काष्ठ उपकरण की व्यवस्था कराने की योजना है।
6– शिक्षा के मूल उद्देश्यों से अभिभावकों की अनभिज्ञता।	शिक्षा के मूल उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों द्वारा जैसे नुक्कड़ नाटक, कला जत्था, चलचित्र, प्रदर्शनी से अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा। तथा उन्हें नौकरी से आवश्यक शिक्षा का ज्ञान गोष्ठियों द्वारा कराया जायेगा।
7– शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी	शिक्षक की छवि समाज में तथा छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक गुणवत्ता परक तथा विशिष्ट प्रभावकारी हो इसके लिये शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे उनके विषय वस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो, शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल करने के लिये प्रशिक्षित करके ग्राम शिक्षा समितियों से समन्वय स्थापित कराया जायेगा।

8– विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	40:1 छात्र अध्यापक का अनुपात है, इस कमी को शिक्षा मित्र की नियुक्ति करके पूरी की जायेगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक कम है अतएव योग्य शिक्षा मित्रों को पूर्व–माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रूप में समायोजित किया जायेगा, शिक्षा मित्र के चयन में अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाना प्रस्तावित हे।
9– विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण होना	प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण कराया जायेगा तथा प्रांगण में विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फूल दार वृक्ष द्वारा लगाये जायेंगे। अधिक बड़े प्रांगण में फलदार वृक्ष लगाना प्रस्तावित है।
10– विद्यालय का शैक्षिक वातावरण	बच्चों के समूह चर्चा हेतु बैठने हेतु दरी तथा काष्ठोपकरण उपलब्ध कराया जायेगा, बच्चों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालय का प्रांगण घर से भी अधिक सुन्दर बनाया जायेगा जिससे बच्चा अधिक समय विद्यालय में दे।

11– विद्यालय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट के प्रवक्ता, प्रति उ0 नि0, बी9 आर0 सी0, समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा, तथा निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में पदोन्नति कराया जायेगा।
12 सामाजिक सहभागिता की कमी	विद्यालय के प्रति अभिभावकों में यह सोच लायी जाय कि विद्यालय हमारा है तथा इसमें अच्छे पठन पाठन से हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। इस कार्य के लिये ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग लिया जाय, माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश अनुशासन, स्वच्छता, साज सज्जा में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता ली जाय, गरीब बच्चों को गणवेष हेतु ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित किया जाय।
13 विकलांग बच्चों के लिये शिक्षण व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर उनको उपलब्ध होने वाली सुविधाएं देने हेतु प्रस्तावित किया जाये पैर से विकलांग वाले बच्चों को अन्य विभागों को सूचना दे० ट्राई सायकिल, जूता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

14– अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में कम समय दे पाता है वह सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें सूचनाएं ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड कर दी जांय तथा अन्य शासकीय कार्यों में अध्यापक का कम से कम योगदान लिया जाय; जिससे वह विद्यालय में अधिक से अधिक समय दे सकेगा।
15– सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटि– पूरक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन का विशेष महत्व है, मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक कराया जायेगा, कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर छुट्टियों में भी शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत वर्गीकरण किया जा रहा है–

{क} नामांकन में समस्याएं

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	निर्धारित दूरी के अन्तर्गत विद्यालयों का न होना	नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
2	प्राकृतिक अवरोधों के कारण छोटे बच्चों का विद्यालय की पहुंच से बाहर होना	शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत विद्या केन्द्र खोले जायेंगे।
3	मलिन बस्तियों / अल्प संख्यक बस्तियों एवं बाल श्रमिकों की बस्तियों से विद्यालय दूर होना	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
4	अभिभावकों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना	ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
5	अध्यापकों को सेवित क्षेत्र के विद्यालय न आने वाले बच्चों की जानकारी न होना	माइक्रों प्लानिंग एवं ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जायेगा।
6	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।
7	समुदाय का सहयोग न होना।	स्कूल चलो अभियान, वी. ई. सी. प्रशिक्षण कराया जायेगा।
8	ग्राम स्तर पर आवश्यकता का सही आंकलन न होना।	पी. आर. ए. कराया जायेगा।
9	अभिभावकों का गरीब होना	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया जायेगा।

{ख}ठहराव की समस्या

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	अभिभावकों का शिक्षा में रूचि न लेना।	शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2	विद्यालय में शौचालय न होने के कारण लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं।	विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।
3	विद्यालय में पेय जल का अभाव	विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे।
4	विद्यालय भवनों का जर्जर होना	जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा।
5	कक्षा – कक्षों का टूटा फूटा होना।	कक्षा–कक्षों की मरम्त कराई जायेगी।
6	छात्र अध्यापक अनुपात अधिक होना।	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।
7	विद्यालय दूर होने के कारण बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पातीं।	महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
8	अभिभावकों का विद्यालयों पर विश्वास नहीं होना।	माता / अभिभावक शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
9	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिरूचि न होना।	मां बेटी मेलों का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन कराया जायेगा।
10	अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना।	मीना कैम्पेन का आयोजन कराया जायेगा।
11	अध्यापकों का लिंग के प्रति संवेदन हीन होना	जेंडर सेन्सटाईजेसन प्रशिक्षण कराया जायेगा।

{ग} गुणवत्ता की समस्या

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	अध्यापकों का दक्ष न होना।	अध्यापकों / शिक्षा मित्रों / आचार्यों / अनुदेशकों / ई. सी. सी. ई. कार्य कत्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
2	ग्राम शिक्षा समितियों का निष्क्रिय होना।	ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
3	प्रशासनिक तंत्र का शिक्षा में रूचि न लेना।	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / समन्वयक वी. आर. सी. / एन. पी. आर. सी. का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4	पाठ्यक्रम का रूचिपूर्ण एवं बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल न होना।	नई पाठ्य पुस्तकों की रचना की जायेगीं
5	अध्यापक पाठ्य पुस्तकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं।	शिक्षक संदर्शिकोंओं का निर्माण कर अध्यापकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6	विद्यालयों का गुणवत्ता युक्त न होना।	विद्यालयों का श्रेणीकरण कराकर स्थिति में सुधार लाया जायेगा।

अध्याय– छः

शिक्षा की पहुंच का विंस्तारः– 1

1. वर्ष 2000–2001 से इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अनतर्गत 30 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करायी जा चुकी है। निरन्तर जसंख्या बृद्धि होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों की कमी होती जा रही है। सर्वेक्षण के आधार पर जनपद के विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में निम्नलिखित संख्या में प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने है।

सारिणी 6.1 प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम	आवश्यकता / प्रस्तावित ए. आई.ई. केन्द्र
1	बल्दीराय	31
2	दूबेपुर	12
3	कूरेभार	14
4	कुड़वार	10
5	धनपतगंज	14
6	जयसिंहपुर	17
7	कादीपुर	15
8	अखण्डनगर	22
9	दोस्तपुर	14
10	मोतिगरपुर	दोस्तपुर एवं कादीपुर में सम्मिलित
11	लम्भुआ	14
12	भदैंया	12
13	प्रतापपुर कमैचा	19
14	नगर क्षेत्र	50
15-24	दू.शा.म. नगर	
	योग	254

2. उच्च प्राथमिक नवीन विद्यालयों की जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III "तृतीय" के अन्तर्गत स्थापना का कोई प्राविधान नही रखा गया था। इसलिए जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निरन्तर कमी होती जा रही है। प्रत्येक 4 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अपेक्षित है। परन्तु संसाधनों को देखते हुए प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में निम्न लिखित ए.आई.ई. केन्द्र आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये गये हैं।

सारिणी 6.2 उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम	आवश्यकता / प्रस्तावित ए.आई.ई. केन्द्र
1	बल्दीराय	23
2	दूबेपुर	11
3	कूरेभार	14
4	कुड़वार	15
5	धनपतगंज	13
6	जयसिंहपुर	11
7	कादीपुर	12
8	अखण्डनगर	14
9	दोस्तपुर	13
10	मोतिगरपुर	13
11	लम्भुआ	19
12	भदैंया	13
13	प्रतापपुर कमैचा	23
14	नगर क्षेत्र	—
15-24	ह.श्री.म.नगर	43
	योग	237

अतएव सर्वशिक्षा अभियान में कुल 237 ए.आई.ई केन्द्रों की स्थापना कर देने से असेवित बस्तियां स्वतः सेवित हो जायेंगी।

सारिणी 6.3

ए०आई०ई० खोलने का लक्ष्य :

वित्तीय वर्ष	प्राथमिक स्तर ए.आई.ई. केन्द्र	उच्च प्राथमिक स्तर ए.आई.ई. केन्द्र
2002–03	–	–
2003–04	–	44
2004–05	100	80
2005–06	104	80
2006–07	50	33
योग	254	237

शिक्षा की व्यवस्था :–

प्राथमिक विद्यालयों में स्थापना होते समय एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र के चयन में योग्य अधिक योग्य अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। भवन निर्माण तक ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालय स्थापित होने पर अस्थाई पठन पाठन की व्यवस्था कराई जायेगी। अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से शत प्रतिशत छात्र नामांकन कराकर उन्हें विद्यालया में शिक्षा पूर्ण करने हेतु रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में एक विषय अध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान रखा गया है। नवीन स्थापित विद्यालय में अनुभवी अध्यापकों का चयन कराने में वरीयता दिया जाय। अध्यापकों/शिक्षा मित्रों के चयन पर 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के चयन को वरीयता प्रदान किया जायेगा।

नवीन प्राथामक विद्यालय साज सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेग– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को इस धनराशि से जिन सामग्रियों को क्रय करना होगा वे इस प्रकार हैं– मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बाँसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लासरूप टीचिंग मैटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब ज्ञान कोष, शब्द कोष, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। इनका भी क्रय जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराया जयेगा।

पेयजल, शौचालय एवं चहार दीवारी :–

विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित / उपलब्ध स्थल पर कराया जायेगा। यह प्रयास रहेगा कि विद्यालयों की स्थापना आबादी से दूर शुद्ध वातावरण में तथा छायादार वृक्षों के सन्निकट कराया जायेगा। इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इनके रख रखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय हेतु विद्यालय को धन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के सन्निकट छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगीं इसे स्वच्छ रखने हेतु विद्यालय को वर्ष में कुछ धन का प्रस्ताव कर दिया जायेगा। प्रत्येक नवीन विद्यालय की अपनी एक चहार दीवारी होगी जिसके निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

प्राथमिक विद्यालय हैण्ड पम्प सेवित है। ।५१२-प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का प्रावधान किया गया है। ।४३।- प्रा0 वि0 में चहारदीवारी की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में ।२३हैण्ड पम्प, ।।२ शौचालय हेतु प्रस्ताव किया गया है तथा २०५चहारदीवारी भी आवश्यक है।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था :–

विद्यालय भवन, शौचालय तथा बाउन्ड्री का निर्माण का दायित्व तथा ग्राम शिक्षा समिति का होगा। समस्त सदस्य निर्माण गुणवत्ता की जांच समय समय पर करते रहेंगे। तकनीकी जानकारी हेतु विकास खण्डों पर उपलब्ध अवर अभियन्ता का सहयोग मिलता रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान से भवन शौचालय तथा चहारदीवारी का धन एक साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। अवसर अभियंताओं को अनेक सहयोग के लिये मानदेय की भी व्यवस्था की जा रही है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत में कमी लाने की व्यवस्था :–

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण यथा सम्भव

प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाय जिससे चहार दीवारी की लागत में कमी आयेगी ओर यहं धन विद्यालय के साज सज्जा तथा सौन्दर्यीकरण में व्यय किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसे अभिभावकों या सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रेरित किया जाय जो विद्यालय में सहयोग देने योग्य हों इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय की साज सज्जा में खेलकूद उपकरण क्रय करने में तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण में किया जायेगा।

भवन निर्माण अथवा बाउन्ड्री निर्माण में ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से श्रमदान कराकर मजदूरी पर होने वाले व्यय पर बचत की जा सकती है ओर इस धन का उपयोग विद्यालय के रख–रखाव में किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करायी जा सकती है। जिसमें शिक्षा के साथ साथ छात्रों का बौद्धिक स्तर और अधिक विकसित हो सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाय जो अपने या अपने किसी पूर्वज के नाम से विद्यालय परिसर में किसी निर्माण कार्य की स्थापना करना चाहते हैं।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षणः–

राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र का बस्तीवार सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा सेवित असेवित बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्प संख्यकों के साथ गोष्ठी, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के साथ गोष्ठी, पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के साथ गोष्ठी, क्षेत्र स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों की गोष्ठी करके सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालयों

की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में 1.5 किमी की दूरी तथा 300 जनसंख्या और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 3 किमी की दूरी तथा 800 जन संख्या के मानक को ध्यान में रखा गया है। आवश्यकता अनुसार केवल उतने ही नये विद्यालयों के खोलने का प्रस्ताव किया गया है। जिससे तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण हेतु रूपये दो लाख का प्राविधान सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में कर दिया गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षणः—

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूरे जनपद में भवन निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय तथा चहार दीवारी निर्माण इत्यादि कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिये एक तकनीकी प्रकोष्ठ की परिकल्पना की गयी है जिसमें पांच अवर अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता {तकनीकी} रखा जायेगा। यह प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत निर्मित समस्त कार्यों का निरीक्षण तथा गुणवत्ता की जांच करता रहेगा एवं अच्छे निर्माण करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को समय समय पर तकनीकी परामर्श भी देता रहेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय सात
शिक्षा की पहुँच का विस्तार भाग–2

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक, शिक्षा/नवाचार–

भारत के संविधान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चो के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है।

स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बीच मे विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा कामकाजी बालक एवं बालिकाओं के लिए संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप का रिव्य/मूल्यांकन भारत सरकार के योजना आयोग के प्रोग्राम मूल्यांकन आर्गनाइजेशन द्वारा किया गया।

तत्कालीन शिक्षा के स्वरूप एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पायी गयी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएं शिक्षा नीति 1986 एवं उसके प्रोग्राम आफ एक्शन 1992 के उद्देश्यों को पूर्ण करने मे अपेक्षाकृत सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही थी।

अतः भारत सरकार द्वारा तत्समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप को पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

(EGS/AIE) योजना

इस योजना को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

(1) प्रदेश सरकार द्वारा संचालित EGS/AIE केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।

(2) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा EGS/AIE केन्द्रों का संचालन।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनाएं।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से यह योजना प्राथमिक के सार्वजनिकरण के लिए संचालित 'सर्व शिक्षा अभियान'' (SSA) योजना का अंग होगी।

EGS/AIE कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के बच्चे होंगे। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगीं

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा म्ळै योजना के विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चों जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं अथवा ैजतमबज बेपसकध्बेपसक स्ंइवनत या घुमन्तू बच्चे (डपहतंजवतल बेपसकतमद) हो चुके हैं के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होंगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियों में जहां[1] किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिये EGS केन्द्र खोले जायेंगे। प्रथम चरण मे जिस क्षेत्र विशेष में EGS केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहां पर AIE केन्द्र खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जाय क्योंकि सर्वप्रथम यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा EGS केन्द्र में प्रवेश ले ले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर AIE केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाय।

इस योजना का संचालन भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जायेगा जो भविष्य में सर्व शिक्षा अभियान को भी संचालित करने के उत्तरदायी होगी। प्रवेश स्तर पर इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सम्प्रति उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट सोसाइटी के रूप में निहित किया गया है।

जनपद स्तर के प्रस्ताव जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव भी सम्मिलित होगें। इसी चिन्हित स्टेटे सोसाइटी द्वारा ही अनुमोदित/अग्रसारित किये जायेगे।

इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के बीच 75रू25 अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी। स्वैच्छिक संगठनों को शत्–प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। स्टेट सोसाइटी ही जनपदीय अधिकारियों/स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रम के संचालन हेतु समय समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को उपलब्ध करायेगी।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि एजूकेशन गारंटी स्कीम (EGS) कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित जिला प्राथमिक जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित जनपदीय अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (**AIE**) कार्यक्रम :–

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा प अधिक आयु होने जाने के करण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल–श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सम्प्रदाय

द्वारा चलाये जा रहे सकतवों/मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किया जाने के उद्देश्य से इनके क्षेत्रों में भी AIE योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि, जहॉ पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होंगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे वे बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दें।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प :

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 15437 बालक/बालिकाएं अपने घर के कार्यों में, 2781 बालक/बालिकाएं मजदूरी में, 12440 बच्चे छोटे भाई–बहनों की देखभाल में, विद्यालय दूर होने के कारण 7054 बच्चें तथा अन्य कारणों से 50001 बालक/बालिका (5+ से 11 वर्ष तक के) विद्यालयी शिक्षा से वंचित पाये गये है। इनमें से 30.10.2003 तक 82288 बच्चों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया जा चुका है।

सारिणी संख्या 7.1

क्र.	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	2062	2340	2040	2410	2968	3617	7070	8367	15437
2.	मजदूरी में लगे रहना	147	116	402	406	1219	491	1768	1013	2781
3.	भाई–बहनों की देखभाल	2546	2100	2173	2817	1097	1768	5755	6685	12440
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	3040	3044	299		319	352	3658	3396	7054
5.	अन्य कारण	20151	17592	3600	2519	2971	2849	26722	22960	50001
	योग	27946	25792	8514	8152	8574	9007	44973	42740	87713

अभी भी 5425 बच्चें विद्यालय जाने से वंचित है। ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिजकोर्स, ए.आई.ई.– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर, एस.सी./एस.टी. ब्रिजकोर्स, आवासीय ब्रिजकोर्स, ग्रीष्मकालीन शिविर तथा बैक टू स्कूल कैम्प का संचालन कराकर इन केन्द्रों के माध्यम से उपरोक्त बच्चों का नामांकन विद्यालयों में सुनिश्चित कराया जायेगा।

कारण	कार्यक्रम	संख्या	
घरेलू कार्य में लगे बच्चों के लिए	ESS केन्द्र AIE केन्द्र	100 × 25	2500
मजदूरी में लगे रहना/बाल श्रमिक तथा अन्य कारण	ब्रिज कोर्स	113 × 40	4520
भाई बहनों की देखभाल	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना	200 × 20	4000
विद्यालय दूर होने के कारण	AIE केन्द	44 × 30	1320

सड़क/प्लेटफार्म मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू, बच्चों, नौकरी, पेशा, कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिसके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिक/खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यत 9–14 है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प संचालित किये जायेगें।

कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की शिविर की अवधि हो सकती है।

भारत सरकार के निर्देशों में यद्यपि इन शिविरों में न्यूनतम् बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं है फिर भी प्रदेश सरकार के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों में न्यूनतम् 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें तथा ये शिविर आवासीय होंगे।

इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविर के लिए एक केयर टेकर दो पैरा टीचर एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रिज कोर्स/शिविरों के कार्यक्रम का नियोजन एवं माइक्रोप्लानिंग :–

प्रत्येक विकास क्षेत्र में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स/शिविरों का निर्धारण क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद में माइक्रोप्लानिंग का कार्य क्च्च् द्वारा पूरा किया जा रहा है। माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किए जाने है। माइक्रोप्लानिंग का कार्य विधिवत् रूप से कराया जा रहा है।

माइक्रोप्लानिंग के कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र में 6–14 वय वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक स्तर के आंकलन के लिए घर घर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। साथ ही स्वैच्छिक संगठनों, क्लबो, महिला, समूहों एवं ग्राम शिक्षा समितियों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। माइक्रोप्लानिंग का कार्य समयबद्ध तरीकें से पूर्ण किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का कोर समूह बनाकर इसक लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करायी जा रही है। माइक्रोप्लानिंग

से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश तथा परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र एवं ग्राम शिक्षा प्रपत्र, स्कूल सर्वेक्षण तथा हाउस होल्ड सर्वेक्षण के साथ संलग्न प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा प्रदत्त सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर ही माइक्रोप्लानिंग का कार्य कराया जा रहा है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र, ब्रिज कोर्स/शिविरों के प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन :–

माइक्रोप्लानिंग से संबंधित पत्रजातों का विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खंड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष, विकास खंड अधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा विकास खंड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होंगे के द्वारा तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात् अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा तथा इसमें निम्न सदस्य होंगे।

जिलाधिकारी –

अध्यक्ष

विशेषज्ञ, बे0शि0अ0/जि0बे0शि0अ0 –

सदस्य सचिव

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य

जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी – सदस्य

जिला पंचायत राज अधिकारी –

सदस्य

वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय बे0शि0अ0 – सदस्य

स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि – सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।)

जनपद में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

विकास खंड स्तरीय/नगर स्तरीय क्षेत्रों में कुछ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन स्वैच्छिक संगठनो द्वारा भी किया जा सकता है। उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं कर्मठ स्वैच्छिक संगठनों को उनके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती है परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनो के प्रस्तावों में ओवर लैपिंग न होने पाये।

जिस क्षेत्र विशेष में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता हो, उस क्षेत्र विशेष का प्रस्ताव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण–पत्र सहित निदेशालय को पूर्ण पत्रजात जिला स्तरीय समिति की संस्तुतियों सहित उपलब्ध करायें जायेंगे।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

1– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।

2– ऐसे क्षेत्र जहां बालिकांओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

3– ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या अत्यधिक हो।

4– ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन बाल श्रमिक एवं खतरनाक, गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।

5– ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारंटी योजना के विद्यालय न हो।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जाएगा। जो पहुँच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय :–

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे, संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक – चयन

अनुदेशक यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हैं। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम

शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति मे मकतवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम् आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबो में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों को न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गयी है। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सकेंगे वहां पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भराया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण :—

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारंभ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रूपये 1000.00 प्रति अनुदेशक की दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छह माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों मे स्थानान्तरित की जायेगी। केन्द्रों के सफलतापूर्वक संचालन की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की आख्या पर अगले छह माह की धनराशि खातों में स्थानान्तरित की जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के सन्तोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की अग्रिम मानदेय की धनराशि नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

अनुदेशक प्रशिक्षण

अनुदेशक का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर्स पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डीआई0 तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जायेगी। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति

द्वारा रु0 1500.00 प्रति अंनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

पर्यवेक्षण :–

इन वैकल्पक शिक्षा केन्द्रों के सकल संचालन हेतु आकस्मिक सहयोग एवं नियिमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिसोर्स सेन्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्रों में यह कार्य नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें

आयोजित की जायेगी तथा न्याय पंचायत/विकास खंड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। समय समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0 तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी,/बी0आर0सी0 प्रभारी कार्यरत् नहीं है वहां पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की भी व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशानुसार की जायेगी। निकट प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयें के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहे और न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खंड स्तरीय समित के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रति माह अवगत कराते रहें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि रु0 2250.00 प्रति केन्द्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति

द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके लिए रू0 1000.00 प्रति केन्द्र की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा निधि खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें का ही सम्प्रति प्रयोग संबंधित निदेशालय द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों द्वारा किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चो का तिमाही, छमाही था वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खंड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधारों से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम परीक्षा

प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक :–

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत् है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए रुपये 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200.00 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम् धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में 5 प्रतिशत राज्य स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड के प्रबन्धन की अधिकतम धनराशि रूपये 2.50 लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है :–

क्र0 सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रु0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक	रु0 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए रु0 1000.00 प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रु0 1500.00 प्रति वर्ष 30 दिनों के लिए रु0 50	रु0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिए 50 रु0 प्रतिदिन 40 दिनो प्रतिदिन की दर से के लिए।
3.	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रु0 1000 प्रति केन्द्र/	रु0 1500 प्रति केन्द्र
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	2250 प्रति केन्द्र	2750 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रु0 468.75 प्रति केन्द्र	रु0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम् लागत से 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है।विकास खंड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी गयी है।

80–100 केन्द्रों के मध्य 2.50 लाख रु0 प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रु0 प्रति वर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.5 लाख रु0 प्रतिवर्ष

25 केन्द्र से कम – रु0 100 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

ब्रिज/कोर्सों/शिविरों का वित्तीय मानक :–

ब्रिज कोसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा जिसमे बच्चों के रहने तथा खाने–पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी/अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी गयी है परन्तु किसी भी दशा में 1500.00 रुपये प्रति छात्र/छात्रा से अधिक कदापि नहीं है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जायेगी। इसके

अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने क लिए एक केयर टेकर दो अनुदेशक एक रसोइया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जाये। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति ही रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज–सज्जा आदि के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का कुछ अंश अवश्य प्राप्त किया जाये।

ग्राम शिक्षा समितियो की भूमिका :–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (।प्) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं।

1– 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना।

2– कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

3– अनुदेशक का चयन करना।

4– केन्द्रों का समय निर्धारित कराना।

5– केन्द्रों की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।

6– अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।

7– अनुदेशकों की उपस्थित, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन, उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।

8– केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।

9– नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना।

विकास खंड स्तरीय समिति की भूमिका :–

1– ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2– ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।

3– कलस्टर रिसोर्स पर्सन्स (ब्च्च्) की सहायता से केन्द्रों/शिविरो का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।

4– जनपद एवं विकास खंड स्तर पर उपलब्ध संदर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :–

1–वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु संपूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खंड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा कराना।

2– केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर बैक टू स्कूल कैम्प के प्रस्तावों को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

3– कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

4– अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकरयिों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।

5– कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6– स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खंड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेत समय सारिणी :–

जनपद सुलतानपुर में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिजकोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी है।

1– दिनांक 28–4–2002 तक वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

2– दिनाक : 15–4–2002 तक माइक्रोप्लानिंग का किया जाना।

3– दिनांक : 30–5–2002 तक माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र का चयन किया जाना जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन शिविर की नितान्त आवश्यकता होगी।

4– ग्राम स्तरीय/नगर स्तरीय प्रस्तावों को उक्त समितियों से विचार विमर्श कर उसे संपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक 15–6–2002 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना।

5– दिनांक 30–6–2002 तक जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर संपूर्ण जनपद के प्रस्तावों को तैयार कर भेजना जिसके साथ निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे।

राज्य सरकार द्वारा संचालित वैकल्पिक एवं नवाचार योजना के प्रस्ताव एवं स्वैच्छिक के प्रस्ताव एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रस्तावों को अलग–अलग संकलित कर पांच पांच प्रतियों में उपलब्ध कराया जाय।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/ब्रिज कोर्स/शिविर के प्रस्तावों के साथ माइक्रोप्लानिंग से संबंधित समस्त संलग्नक एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव तथा सहायक

बेसिक शिक्षा/अधिकारी विकास खंड स्तरीय अधिकारी/ नगर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किये जाये।

3– विकास खंड स्तरीय/नगर क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियां/जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार की संस्तुतियों को भी केन्द्रवार एवं कोर्सवार अलग अलग उपलब्ध करायी जाय।

4–संकलित प्रस्तावों को भेजते समय पत्र में उल्लिखित समय–सारिणी का विशेष ध्यान रखा जाय।

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार :–

हम जानते हैं कि शासकीय मानक के अनुसार प्रत्येक 1.5 कि0मी0 पर एवं 300 आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 लागू होने से पूर्व कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मानक के अनुसार 30 बस्तियॉ ऐसी पायी गयी जिनसे 1.5 किमी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और उनकी आबादी 300 के ऊपर थी। अतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अन्तर्गत 30 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया। जिन्हें 2000–2001 एवं 2001–2002 में अर्थात् प्रारंभ के दो वर्षों में ही पूरा कर लिया गया है। तथा 50 ऐसी बस्तियॉ पायी गयी जिनसे 1.5 किमी की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे लेकिन उनकी आबादी 300 से कम थी अतः मानक के अनुरुप न होने के कारण वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सके अथवा उन बस्तियों से 1.5 किमी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तो थे लेकिन प्राकृतिक बाधाओं के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते थे। इन्हें भी प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चयनित नहीं किया गया। अतः इन 50 बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना के तहत विद्या केन्द्र खोले जाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में प्राविधान किया गया। इनके संचालन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों से प्रस्ताव मांगे जाने एवं केन्द्रों के लिए अनुषांगिक व्यय एवं नियुक्त आचार्यों के लिए मानदेय की भी व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ मलिन बस्तियों, मुस्लिम बस्तियों, एवं बालश्रमिक बहुल बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया। जिनमें रहने वाली आबादी के बच्चे अपने परिवार की विशिष्ट आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। क्योंकि वे अपने घरेलू धन्धों में सहयोग करते थे। अथवा जातीय समीकरणों के कारण विद्यालय जाने में संकोच करते थे। ऐसी बस्तियों की संख्या भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में कराये गये सर्वेक्षण में 125 पायी गयी। इन चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्राविधान भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में किया गया तथा दो वर्षों में इसका लक्ष्य

पूर्ण करने का प्राविधान किया गया। इनके लिए अनुदेशकों का चयन, अनुषांगिक व्यय एवं मानदेय की भी व्यवस्था डी0पी0ई0पी0–3 में करने का प्राविधान किया गया।

विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति एवं संचालन की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :–

सारिणी 7.2

क्र.	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत सं0	
		विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	आचार्य	अनुदेशक
1	वर्ष 1997 से वर्ष 2003	50	50	50	47	50	47

उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण हेतु संकलित किये गये आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से विकास खंडवार विद्या केन्द्र एवं शिक्षा केन्द्र भी संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान हेतु विद्या केन्द्रों तथा शिक्षा केन्द्रों, मकतबों के सुदृढ़ीकरण ब्रिज कोर्स एवं ज्ञानशाला की आवश्यकता –

सारणी सं. – 7.3

क्रमांक	विकास खंड	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		
		ए.आई.ई	मकतब (डी.पी.ई.पी.)	ब्रिजकोर्स (एन.पी.आर.सी.)	ब्रिजकोर्स (एन.जी.ओ.)	बैक टू स्कूल कैम्प
1.	बल्दीराय	31		07		7
2.	दूबेपुर	12		9		7
3.	कूरेभार	14		08		7
4.	कुड़वार	10		10		7
5.	धनपतगंज	14		7		7
6.	जयसिंहपुर	17		11		7
7.	कादीपुर	15		7		7
8.	अखंडनगर	22		6		7
9.	दोस्तपुर	14		8		7
10.	मोतिगरपुर	दोस्तपुर एवं	कादीपुर में		सम्मिलित	हैं 6
11.	लम्भुआ	14		7		7
12.	भदैंया	12		12		7
13.	प्रतापपुर कमैचा	19		8		7
14. 1524	नगर क्षेत्र छ.शा.म.नगर	– 50		11 74		– 47
	योग	254	50	187	8	137

उपर्युक्त के अनुसार जनपद में प्राथमिक स्तर पर 204 ए.आई.ई. केन्द्र एवं उच्च उच्च प्राथमिक स्तर पर 113 ब्रिजकोर्स और 90 बैक टू स्कूल कैंप की आवश्यकता होगी। जिसको सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में शामिल किया गया है। उक्त का संचालन वर्ष 2003–04 में कराकर शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

सारणी सं. – 7.4

EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या									
		EGS			AIE प्राथमिक स्तर			AIE उच्च प्रा० स्तर			बैक टू स्कूल कैम्प
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	
1.	2002–03	50	–	50	–	–	–	44	–	44	3
2.	2003–04	–	–	–	–	–	–	44		44	2
3.	2004–05	–	–	–	–	100	100	–	80	80	2
4.	2005–06	–	–	–	–	104	104	–	80	80	2
5.	2006–07	–	–	–	–	50	50	–	33	33	1
	योग	–	–	50	–	254	254	44	193	237	10

अध्याय आठ

ठहराव एवं सम्वर्धन

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्रगति में अब तक के अनुभवों के अधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक / बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन तो हो जाता है किन्तु कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण विद्यालय ड्राप आउट की समस्या आती है । सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे हैं इस दिशा में प्रयास एवं आवश्यकतायें निम्नांकित हैं :-

सारिणी सं0 - 8.1
वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (माँग)

क्रमांक	विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	नवीन निर्माण	07	07
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	44	21
3.	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	1999	291
4.	पेय जल सुविधा/ हैण्ड पम्प	-	123
5.	शौचालय	1492	112
6.	चहारदीवारी	-	-

सारिणी सं0 - 8.2
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	मांग	
								शिक्षक	शिक्षामित्र
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2003-04	410879	6455	1350	7805	10271	2466	-	-
2.	2004-05	431422	6455	1350	7805	10785	2980	600	2380
3.	2005-06	450835	7055	3730	10785	11271	486	243	243
4.	2006-07	471122	7298	3973	11271	11778	507	254	253

सारिणी सं0 – 8.3

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40.1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्ष	नवीन विद्यालयों के कक्षाकक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षाकक्ष	वर्षवार मांग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**2002-03**	394456	9861	4326	-	4326	5535	-
2.	**2003-04**	417251	10431	4326	-	4326	6105	-
3.	**2004-05**	431422	10785	4326	-	4326	6359	700
4.	**2005-06**	450835	11270	5026	14	5040	6230	700
5.	**2006-07**	471122	11778	5740	-	5740	6038	599

प्रति विद्यालय 3 कक्षा की दर से मांग–

क्रमांक	विवरण	विद्यालय	वर्तमान कक्षाकक्ष	3:1 की दर से कक्षाकक्ष	आवश्यक कक्षाकक्ष
1.	एक कक्षीय	62	62	186	124
2.	दो कक्षीय	1875	3750	5625	1875
3.	तीन कक्षीय	142	426	426	–
4.	चार कक्षीय	22	88	66	–
	योग –	2101	4226	6303	1999

सारिणी सं0 – 8.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 के अनुसार शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1.	**2002-03**	246	22	1230	1136	94
2.	**2003-04**	268	25	1340	1230	110
3.	**2004-05**	293	-	1465	1340	125
4.	**2005-06**	293	07	1465	1465	-
5.	**2006-07**	300	-	1465	1465	-

सारिणी सं0 - 8.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में आवश्यकता

क्र.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से वांछित कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्ष	आवश्यक कक्षाकक्ष	1:5 की दर से वांछित कक्षाकक्ष	वर्षवार मांग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2002-03	246	22	984	1040	56	1230	-
2.	2003-04	268	25	1072	1181	109	1465	-
3.	2004-05	293	-	1172	1181	-	1465	150
4.	2005-06	293	07	1172	1202	-	1465	141
5.	2006-07	300	-	1172	1202	-	1465	-
	योग-							291

प्रति विद्यालय 5 कक्षा कक्ष की दर से आवश्यकता (मांग)

क्रमांक	विवरण	विद्यालय	वर्तमान कक्षाकक्ष	3:1 की दर से कक्षाकक्ष	आवश्यक कक्षाकक्ष
1.	एक कक्षीय	04	04	20	16
2.	दो कक्षीय	03	06	15	09
3.	तीन कक्षीय	28	84	140	. . . 56
4.	चार कक्षीय	210	840	1050	210
5.	पांच कक्षीय	23	115	115	-
6.	छः कक्षीय	22	132	110	-
	योग -	290	1181	1450	291

विद्यालय की सुविधाएँ

विद्यालय रखरखाव एवं विद्यालय विकास अनुदान

प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000 का अनुदान दिया जायेगा एवं रूपये 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेजों को भी दिया जायेगा ।

विद्यालय विकास अनुदान एवं रखरखाव अनुदान की आवश्यकता अतिरिक्त कक्षाकक्ष:-

वर्ष	विद्यालय की संख्या			विद्यालय विकास अनुदान रू.2000	रखरखाव अनुदान रू.5000
	प्रा.वि./प.	उ.प्र.वि./प	योग		
2002-03	2101	246	2347	2347	2347
2003-04	2101	293	2394	2394	2394
2004-05	2101	293	2394	2394	2394
2005-06	2128	300	2408	2408	2408
2006-07	2128	300	2408	2408	2408

वर्ष	सहायता प्राप्त विद्यालय की संख्या				योग	शिक्षक अनुदान रू. 500	विद्यालय विकास अनुदान रू.2000	रखरखाव अनुदान रू.5000
	प्रा.वि./	उ.प्र.वि./	सहायता प्राप्त हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट				
2002-03	-	72	69	127	268	804	८०५	-
2003-04	-	72	69	127	268	804	८०५	-
2004-05	-	72	69	127	268	804	८०५	-
2005-06	-	72	69	127	268	804	८०५	-
2006-07	-	72	69	127	268	804	८०५	-

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 1999 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1:5 के दर से 291 कक्षों की आवश्यकता है । इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्रा0वि0 पांच कक्षीय हो जायेंगें कक्ष बनवाने हेतु 2003 से 2007 तक कुल 1999 अतिरिक्त कक्षाकक्ष के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।

सारिणी सं0 - 8.7

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में उच्च प्रा.वि. में अतिरिक्त कक्षाकक्ष की आवश्यकता

क्र.सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	1:5 की दर से	वर्तमान कक्षाकक्ष	आवश्यक कक्षाकक्ष	माँग
1	2	3	4	5	6	7
1.	**2002-03**	246	1230	1040	-	-
2.	**2003-04**	293	1465	1181	-	-
3.	**2004-05**	291	1465	1181	284	150
4.	**2005-06**	300	1500	1352	148	141
5.	**2006-07**	300	1568	1514	-	-
	योग-					291
नोट - प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 5 कक्ष की दर से मांग रखी गयी है ।						

सारिणी सं0 - 8.8

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वर्षवार

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	वर्तमान कक्षा-कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा-कक्ष	योग	आवश्यक कक्षा-कक्ष	वर्षवार मांग 3 कक्षा कक्ष की दर
1	2002-03	2101	-	4326	-	4326	-	-
2.	2003-04	2101	-	4326	-	4326	-	-
3.	2004-05	2101	-	4326	-	4326	6303	700
4.	2005-06	2108	-	5026	14	5040	6289	700
5.	2006-07	2108	-	5740	-	5740	5289	559
	योग-	**2161**	-					**1999**
नोट - न्यूनतम 3 कक्षा-कक्ष प्रति विद्यालय की दर से मांग रखी गयी है ।								

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण:-

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना है । जिसका वर्षवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

सारणी सं.-89

6-14 वय वर्ग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण हेतु वर्षवार अनुसूचित जाति तथा कुल बालिकाएँ ।

वर्ष	6-11 वय वर्ग प्रा. स्तर परिषदीय		योग	11-14 वय वर्ग उ.प्रा. स्तर परिषदीय		योग	6-11 वय वर्ग प्रा. मान्यता / सहायता प्राप्त	11-14 वय वर्ग उ.प्रा. मान्यता/ सहायता प्राप्त	योग
	कुल बालिका	अनु. बालक		कुल बालिका	अनु. बालक		कुल बालिका	अनु. बालक	
2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003-04	-	-	255887	39003	20123	59126	-	-	-
2004-05	-	-	287550	41606	23432	65038	-	-	-
2005-06	-	-	316251	43970	30823	74793	-	-	-
2006-07	-	-	316479	49655	36357	86012	-	-	-

(मान्यता प्राप्त /सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या उ.प्रा. स्तर परिषदीय में जुड़ी है)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रारंम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग के किए जाने से सार्थक परिणाम की संभावना है । कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी । शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमत: 24 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में संपूर्ण परियोजना अवधि में कुल 48 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रू. व्यय किये जायेगें ।

क्रमवा॰	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कप्यूटर हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों की सं.	-	-	-	24	24	0

शौचालयः-

जनपद के प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1604 ऐसे विद्यालय है जिसमें शौचालय उपलब्ध नही है । जिसके लिए 1604 शौचालयों के निर्माण हेतु वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007 तक लक्ष्य रखा गया है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवनः-

जनपद में 21 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जिनके भवनों का पुनः निर्माण कार्य हेतु 2004 से 2006 तक के लिए पुर्ननिर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।

पेयजल व्यवस्थाः-

जनपद में सभी प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है । 123 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहाँ पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है । 2004-05 में विद्यालय में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है ।

पुनर्निर्माण प्राथमिक विद्यालयः-

जनपद में 44 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जन अवस्था में है इनको पुनर्निर्माण हेतु 2004-05 से 2007 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन निर्माण :-

असेवित बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापना की आवश्यकता है जिसके लिए वर्ष 2005-06 में सात नवीन विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

सारणी 8.10

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का वर्षवार प्रस्ताव

वर्ष	नवीन निर्माण		विद्यालय पुनर्निर्माण		पेयजल सुविधा		शौचालय		अतिरिक्त कक्षा-कक्ष		चहार दीवारी	
	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ.प्रा. विद्यालय
2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004-05	-	-	15	08	-	123	500	37	700	150	610	68
2005-06	07	07	15	08	-	-	500	37	700	141	610	68
2006-07	-	-	14	05	-	-	492	38	599	-	599	69
योग	**07**	**07**	**44**	**21**	**-**	**123**	**1492**	**112**	**1999**	**291**	**1831**	**205**

मरम्मत एवं विद्यालय रखरखाव:-

जनपद में सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रू.5000/- प्रति विद्यालय प्रति वर्ष विशेष अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है जनपद में 376 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 94 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकता है । जिसकी मरम्मत हेतु रू.20,000/- की दर से व्यवस्था की जायेगी । 243 प्राथमिक विद्यालय तथा 63 उच्च प्राथमिक विद्यालय बृहद मरम्मत योग्य हैं । उनकी मरम्मत हेतु रू.40,000/- की दर से धनराशि दी जायेगी । लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा बृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय का होगा ।

सारणी 8.11

विद्यालय भवन मरम्मत का वर्षवार प्रस्ताव

वर्ष	बृहद मरम्मत			लघु मरम्मत		
	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	योग	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	योग
2002-03	-	-	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-	-	-
2004-05	81	21	102	125	31	156
2005-06	81	21	102	125	31	156
2006-07	81	21	102	125	31	156
योग-	**243**	**63**	**306**	**376**	**94**	**470**

चहारदीवारी:-

जनपद में 1831 प्राथमिक एवं 205 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता है । चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत प्राप्त होने पर निर्माण कराया जायेगा । किन्तु मानक लागत रू.40,000/- से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी । चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को अपनाया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान में चहारदीवारी के निर्माण हेतु कोई व्यवस्था/ प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

हजार से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पो को अपनाया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में चहारदीवारी हेतु कोई व्यवस्था/प्रस्ताव नहीं है।

बालिका शिक्षा :—

सभी जन समुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष में आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाय। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव धर्म एवं जाति लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया है। एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षानीति के पश्चात् आरंभ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने का प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसमें विशेष सहायक सेवाओं के समयबद्ध लक्ष्य का सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की राष्ट्रीय दर 65.38 प्रतिशत के विपरीत 57.36 प्रतिशत हैं। महिलाओं एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 54.56 प्रतिशत और 75.86 प्रतिशत है। जबकि उ0प्र0 में महिला एवं पुरूष की साक्षरता दर क्रमशः 42.98 प्रतिशत तथा 70.23 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकड़े न केवल जोड़कर व

सामाजिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाते हैं। अपितु ये पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश होने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा तीन उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं ।

उत्तर प्रदेश को बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 99–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत आंकों भी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 मे बालिकाओं को GER में 98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996–97 में 84.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का संपूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है 1999–2000 में बालकाओं के लिये यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 मे कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन शाला त्याग के कारण जटिल है इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षिकाओं का आभाव आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सामाजिक धारणाएं एवं अन्ध विश्वास। बालिकाओं के लिए मांग न होने उनके निम्नतम् नामांकन का मुख्य कारण है। स्कूल का वातावरण भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। अतिरिक्त कार्य होने पर उन्हें घर में रोक लिया जाता है जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

प्रयास एवं सुझाव :–

1– जागरूकता क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2– जेण्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

3– महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने एवं जोर डालने वाली सामग्री विकसित करना।

4– शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव पर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण माण्ड्यूल विकसित करना।

5– ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6– प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1– बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय के प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

2– महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन।

3– माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षा संघ का गठन।

4– ग्राम शिक्षा समितियो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

मीना कैम्पेन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया। यह यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी मीना नामक बालिका पर दर्शायी गई एक शिक्षाप्रद फिल्म है।

माँ – बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से मॉ–बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों का मुख्य उद्देश्य :–

1– बालिकाओं की शिक्षा के विषय मे जागरूकता बढ़ाना।

2– बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महत्व बताना।

3– शिक्षकों एवं अभिभवकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना।

4– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना।

5– बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

6– वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वार्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूह से इस प्रणाली को व्यक्त की गई आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और प्रभावकारी बनाने पर वार्तालाप करना।

समानता के लिए शिक्षा :–

महिला संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदाय जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किए गए है। जैसे–

बालकेन्द्र किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

संघ की महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों आदि की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की गई, इसके पश्चात् बाल केन्द्रों एवं किशोरी केन्द्रों की संकल्पना की गई है।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है, यह किशोरियों का समूह जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय नहीं जा रही है। ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन शिविर चलाए जाएंगे। बालिकाओं के शत–प्रतिश् नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

बालिकाओं के शत–प्रतिशत् नामाकंन एवं ठहराव हेतु इन समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण कराकर इन सूहों का अधिक सहयोग लिया जा सकता है।

माता शिक्षक संघ :–

ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उन गांव की 15 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल :–

ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहां बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगें।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

बच्चो की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चों एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों के उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों को हरा पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। जो इस प्रकार होगा।

1– माह में 5 दिन से अधिक उपस्थित पर हरा निशान।

2– माह में 7–15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान।

3– माह में 6 दिन से कम उपस्थिति पर लाल निशान।

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर कक्षावार टॉग दिया जायेगा। तथा ग्राम स्तरीय समूह बैठकों पर चर्चा किया जायेगा तथा बच्चों को रिबन के बैज प्रदान किया जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत के अन्त में अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक मे छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभवकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह मे गांव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनक बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं।

कोहार्ट स्टडी :–

अधिकतम् शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिन्होंने पिछले साल पांच साल में विद्यालय छोड़ा है ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :–

ऐसे गांव जहॉ न्यूनतम् 40 बालिकाएं शाला त्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उन गांव में उन बालिकाओं के दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

सारणी सं0 8.12

ग्रीष्मकालीन शिविर

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	–	–
2003–04	–	–
2004–05	–	70
2005–06	70	70
2006–07	50	70
योग	120	210

कलाजत्था अभियान :–

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है बालिकायें बीच में विद्यालय छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव गांव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवो में चलाया

जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम् है।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालक/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपाश्कों परचर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच (एम0सी0डी0ए0) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतों को, जो महिला साक्षारता दर में कम हों, बालिकाओं का ड्राप आउट अधिक हो, आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया हो। जिससे उन न्याय पंचायतों में बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अन्तर्गत आच्छादित न्याय पंचायतों में

सारणी–8–13

वर्ष	एम.सी.डी.ए. से आच्छादित विकास खण्ड			कार्यक्रम कला जत्था	मीना कैम्पेन शो	बाल मेला न्याय पंचायत स्तर	एम.टी.ए. पी.टी.ए. प्रशिक्षण	महिला प्रेरक दल प्रशिक्षण	ग्रा.शि.स. प्रशिक्षण त्रिदिवसीय
	पूर्व से आच्छादित	नवीन प्राविधान	कुल						
2002–03	15	0	15	–	31	20	–	40	
2003–04		10	25	–	200	25	–	50	
2004–05		10	35	300	240	35	707	60	1262
2005–06		5	40	350	280	40	707	70	
2006–07		0	40	400	320	40	707	80	
योग	15	25	40	3600	1071	150	2121	300	1262

–कला–जत्था का प्रदर्शन, एम.टी.ए./पी.टी.ए./डब्ल्यू.एम.जी. का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना–कैम्पेन, पी.आर.ए., तारांकन, ठहराव परिक्रमा आदि कार्यक्रम किये जायेंगे। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत अभी तक तीन विकास खण्डों को इस कार्य के लिए आच्छादित किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माडल क्लस्टर डेवलपमेन्टल एप्रोच हेतु विकास खण्डों का आच्छादन निम्नवत् होगा–

शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलना :–

छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहने के कारण जो बालिकायें विद्यालय नहीं जा पाती या विद्यालय में पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता तथा कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। इन बालिकाओं को विद्यालयों में लाने के लिये शिशु–शिक्षा केन्द्रों को खोला गया। यह केन्द्र आई0सी0डी0एस0 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा विद्यालय समय के अनुसार विद्यालय मे चलाये जाते है कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय का अतिरिक्त मानदेय डी0पी0ई0पी0 के द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5000 की शैक्षिक सामग्री हेतु दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष 1500/– रुपये आकस्मिक व्यय हेतु।

प्रथम चरण में यह केन्द्र ऐसे विकास खंड में जहां की महिला साक्षरता दर कम थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 2000–2001 में विकास खंड शुकुल बाजार में 15 केन्द्र खोले गये हैं।

द्वितीय चरण में 2001–2002 में विकास खण्ड शुकुल बाजार में ही 15 केन्द्र खोले गए हैं। इस तरह कुल 30 केन्द्र डी0पी00 पी0 योजना के अन्तर्गत खोले जा चुके हैं।

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नवीन **ECEE** केन्द्रों की आवश्यकता

सारणी सं0 8.14

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	क्रमागत योग
2002–03	30	0	0
2003–04	30	0	0
2004–05	30	100	130
2005–06	–	100	230
2006–07	–	0	230
योग	30	200	230

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 30 केन्द्र विकास खण्ड शुक्ल बाजार में संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 200 ई. सी. सी. ई. केन्द्र खोलने का लक्ष्य रक्षा गया है। बालिकाएं जो अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है उनको ई. सी. सी. ई. केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार वे बालिकाएं जो अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल के कारण विद्यालयी यिक्षा से वंचित है वे भी शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगी।

मीना मंच :

उच्च प्राथमिक स्तर पर 10 मीना मंचों का गठन कराया गया है। मीना मंच 9–14 वर्ष की विद्यालय जाने वाली 20 बालिकाओं का समूह है। मंच के माध्यम से पास पड़ोस की बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रेरित कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। सम्प्रति 10 मीना मंच गठित किए गए है। आगामी वर्षों में 72 मीना मंच गठित किए जायेंगे।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिन विकास खंडों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है उन विकास खंडों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आपेक्षित सहयोग लिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारंपरिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान शिक्षा में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं को नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जारूक हो जायेगें। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कलाचित्रण, के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन स्तर से लागू किये गये कार्यक्रमों में वांछित लक्ष्यो की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें उन लोगों की सहभागिता नहीं थी जिनके हितों के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये थे। वैसे तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू होने से पहले की जिला बेसिक शिक्षा समिति/नगर बेसिक शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा था किन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 से आच्छादित होने के उपरान्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की संकल्पना की गयी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों क त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ के दो वर्षो में कराने का लक्ष्य रखा गया तथा प्रथम वर्ष में जनपद की 805 ग्राम

शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 805 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 55 वार्ड शिक्षा समितियों के द्विदिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी –

(क) नामांकन में सहयोग :–

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका जिनमे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांग बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समुदाय के द्वारा परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माइक्रोप्लानिंग तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते हुए निकटतम् प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बालकों का शत–प्रतिशत प्रवेश दिलाने में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वारा वातावरण निर्माण में भी समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है।

(ख) ठहराव :–

समुदाय के लोगों में से PTA/MTA/WMG का गठन करके स्कूल छोड़ने वाले बालक/बालिकाओं को पुनः विद्यालय वापस लाकर शत प्रतिशत ठहराव का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हो रही है।

(ग) गुणवत्ता :–

अध्यापकों को प्रेरित करने का कार्य भी समुदाय के लोग कर सकते है। जहां अध्यापकों की कमी हो वहां शिक्षा मित्रों के चयन आदि में उसकी महती भूमिका होती है। इसी प्रकार से स्वयंसेवी लोगों के द्वारा भी शिक्षकों की कमी को

समुदाय पूरा कर सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों की स्थिति को अच्छी बनाने, बागवानी, साजसज्जा, रखरखाव, निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, सुन्दरीकरण में भी समय–समय पर समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिकोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताओं में समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर विद्यालयों के प्रति उनके मन में विश्वास का भाव पैदा किया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संगठनों का वातवरण निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र संचालन, विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने आदि में सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य समुदाय की सहभागिता के बिना प्राप्त करना असंभव है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा) :–

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन सभी जो कि 5–10 प्रतिशत बच्चों को जो दृष्टि सम्बन्धी एवं मानसिक सम्बन्धी अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहॉ व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, विभिन्न अक्षमताओं में सब से अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्या कम है। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चे के (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन

अक्षम बच्चो को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चो को बिन बुलाई आपदा अथवा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस प्रयास से आज सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है। और दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मानसिक रूप से अधिक जागरूक व क्रियाशील होते है।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और मध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चो की तरह हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में, व्यवहार में, चाल में, कक्षा में, मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

अक्षम बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं हैं इन्हे उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

ऐसे बच्चे जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमे निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जमाने और आत्मनिर्भरता बनाने मे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, अतः ये समेकित शिक्षा अर्न्तगत ही ये प्रयास संभव है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। मुख्यतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांग/अक्षमता के प्रकार :–

सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। वे निम्न प्रकार के है मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है:–

(1) दृष्टि विकलांगता

(2) श्रवण एवं वाणी विकलांगता

(3) अस्थि विकार विकलांगता

(4) मानसिक मन्दता

(5) अधिगम मन्दता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलागतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है। तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है।

(1) अधिगम समस्याओं से सम्बन्धी कारण :– निम्नवत् है।

1– बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति।

2– दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई)

3– श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बोलने में कठिनाई)

4– हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मांस पेशियों के तालमेल में समस्या होने से क्रियाकलापो में कठिनाई।

5– मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्यायें।

(2) घर परिवार सम्बन्धी कारण :– निम्नलिखित है।

1– माता पिता के स्नेह मे कमीं।

2– बच्चों की हीन भावना से देखना।

3– सीखने के समान अवसर न मिलना।

4– शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।

5– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

(3) विद्यालीय वातावरण .से समबन्धित कारण :– निम्नलिखित हैं।

1– शिक्षक का बच्चे से लगाव होना।

2–सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा बना लेना।

3– कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना।

4– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

5– उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्रति उदासीनता का होना।

6– बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा में अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा संपर्क होता है, तथा उनको बच्चों के ध्यान से देखने का अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :–

(1) बच्चों में

(2) परिवार में

(3) समाज में

1– आत्मनिर्भरता में कमी।

2– चलने में परेशानी।

3– समाज में उपेक्षित।

परिवार में :—

1— अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

2— आर्थिक बोझ अधिक।

समाज में :—

1— ध्यान देने की आवश्यकता।

2— उत्पादन में कमी।

3— समाज में एकीकरण में कमी।

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां हैं, बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गंभीर रूप धारण का चुका है।

1— संवेदीकरण :—

अक्षम बच्चों के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1— समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।

2— परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्ग दर्शन)

3— अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं इन्हें सहानुभूति की नहीं, सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें निहित इनकी अक्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2– उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टर कीटीम जिसमें एक आथोपेडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इसलिये निम्न संस्थाओं से संपर्क किया जाता है–

1– राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून।

2– अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा–बम्बई।

3– एलिम्को जी0टी0रोड, कानपुर 206016।

4– अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली।

5– भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।

6– राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।

7– नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रीन एल0पी0 बाला काम्पलेक्स बम्बई।

8– मंगलम् ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9– यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

10- जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, इलाहाबाद।

3– अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ

शिक्षा देने की विधापर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रति विकास खंड 4–4 मास्टर टेनर्स का चयन किया गया है और इन मास्टर टेनर्स का 10 दिवसीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13, लूकरगंज इलाहाबाद में व मूक बधिर विद्यालय जार्ज टाउन में आयोजित किया गया है।

4– शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पॉच विकलांगताओं– दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा–3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को भी शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :–

1– विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।

2– विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

3– इन बच्चो के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।

4– कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन।

5– इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।

6– विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओ की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रातायें रखती हो।

1– संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।

2– संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

3– विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4–संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :–

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरूरी है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाकर इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना है।

1– कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।

2– 6–11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।

3– स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं समाजीकरण की भावना का विकास हो।

4– समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।

5– कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

6– जनसमुदाय को जागृत करना।

7– स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना।

8– प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चितीकरण करना।

9– मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हे प्रशिक्षण दिलाना।

10–प्राथमिक विद्यालयें के अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण करानां

11– प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना।

12– रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना।

13– समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

14– स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

15– जीवन के रहन–सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना।

16– उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्राविधान :–

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्राविधान उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से कछ इस प्रकार हैं।

1– समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)।

2– समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठ्यक्रम मे कुछ आवश्यक परिवर्तन)।

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3– समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमे से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :–

1– सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चो की पहचान एकदम प्रारंभ में करना उपयुक्त है।

2– इन बच्चों को निरंतर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना।

3– बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।

4– संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।

5– समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।

6– विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिये सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकरात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे कि इन बच्चो की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग माना जाये।

विद्यालय में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो (विकलांग) की सूचना

जनपद – सुलतानपुर

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		कुल		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
शारीरिक विकलांग	167	90	264	161	308	158	306	159	282	180	1327	748	2075
मानसिक विकलांग	32	17	43	17	49	19	51	18	32	11	207	82	289
दृष्टि विकलांग	13	13	21	27	31	28	26	27	26	13	117	108	225
श्रवण विकलांग	24	6	39	48	45	39	41	22	28	29	177	144	331
अधिगम अक्षमता / अन्य	1	0	13	1	3	1	2	0	0	0	19	2	11
कुल	237	126	380	254	436	245	426	226	368	233	1847	1084	2931

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 6		कक्षा 7		कक्षा 8		कुल			कुल कक्षा 1 से 8 तक		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
शारीरिक विकलांग	148	70	149	75	94	46	391	191	582	1718	939	2657
मानसिक विकलांग	7	6	1	0	1	0	9	6	15	216	88	304
दृष्टि विकलांग	18	13	8	4	7	2	33	19	52	150	127	277
श्रवण विकलांग	8	12	11	8	11	1	30	21	51	217	165	382
अधिगम अक्षमता / अन्य	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10	2	12
कुल	181	101	170	87	113	49	464	237	701	2311	1321	3532

जनपद सुलतानपुर में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :–

जनपद सुलतानपुर में प्राथमिक/जूनियर में लगभग 4000 विकलांग बच्चों में सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चो की संख्या सबसे कम है। इन बच्चों में अधिकांश बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा रहा है।

जनपद सुलतानपुर में समेकित शिक्षा कार्यक्रम चार चयनित विकास खंडों क्रमशः कूडेभार, धनपतगंज, दूबेपुर, कादीपुर में चलाया जा रहा है। जिसमें कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये हैं।

(1) मेडिकल एसेसमेन्ट कैंप :–

जनपद के 4 चयनित विकास खण्डों क्रमशः (1) कूरेभार (2) धनपतगंज (3) कादीपुर (4) दूबेपुर में 6 से 14 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों का वर्ष 2002–03 में 12 मेडिकल एसेसमेन्ट कराया गया है तथा विकलांगता प्रमाण पत्र भी मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा वितरित किये गये हैं। यह शिविर न्याय पंचायत स्तर पर लगायें जाते है और मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार डाक्टर की टीम जिसमें अस्थि विशेषज्ञ, नाक, कान, गला, विशेषज्ञ, ई0 एन0टी0 विशेषज्ञ, नेत्र विशेष तथा सी0 एम0 ओ0/डिप्टी सी0एम0ओ0 जाते है, परीक्षण उपरान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जाये। उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जाना चाहिए साथ ही उपयुक्त बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत

(1) चयनित विकास खंडों में मेडिकल असेसिमेंण्ट किये जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् है–

संदर्भित		दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
26	28	46	27	63	50	688	505	22	21	847	631	1478

चयनित विकास खंडों में मेडिकल असेस्मेन्ट किये गये बच्चों की संख्या निम्नवत् है।

संदर्भित		दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
17	8	20	14	61	40	301	156	29	11	428	229	657

चयनित विकास खंडों में वितरित किये जाने वाले

डी.आर.सी. जगदीशपुर विकलांग कल्याण विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा।

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये उपकरण	संख्या
1–	ट्राइसाइकिल	200
2–	व्हील चेयर	1
3–	नेत्रहीन छड़ी	–
4–	श्रवण यन्त्र	75
5–	ब्रेल स्लेट	–
6–	विशेष जूते	–
7–	बैसाखी (ब्रचेज)	–
	योग	276

चार विकास खण्डों में कुल 276 बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराये गये है।

(2) वातावरण सृजन कार्यशाला :–

चारों विकास खंडों में एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर वातावरण सृजन जनजागरण कार्यशाला की गई जिसमे अभिभावक (अक्षम बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों बी0आर0सी0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 ने प्रतिभाग किया इसमे अभिभावक का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज शिक्षक समुदाय, घर परिवार तथा इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायक हो सकते है, आदि पर विशेष चर्चा की गई कार्यशाला की अवधि 10 बजे प्रातः से 5 बजे तक थी। डी.पी. ई.पी. के अन्तर्गत कुल 6 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको का प्रशिक्षण :–

चारों चयनित वि0 क्षे0 के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विकालंगता के क्षेत्र का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(4) मास्टर ट्रेनर फाउन्डेशन कोर्स :–

जनपद सुलतानपुर के 4 विकास खंड के 13 मास्टर ट्रेनर व 6 फाउन्डेशन कोर्स प्राप्त प्रशिक्षको की टीम तैयार की जा चुकी है।

(5) स्वास्थ्य प्रशिक्षण :–

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद मे सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण आरंभ किया गया है। इस वर्ष कार्ड के स्थान पर रजिस्टर मे कालम बनाकर प्रविष्टियां भरी जा रही है। वर्ष 2001–02 में 224004 तथा 2002–2003 में 184526 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

(6) अभिभावक गोष्ठियाँ :–

चारों विकास खंडों के गांव मे जाकर के विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियों आयोजित की जानी है, समेकित शिक्षा की जानकारी दी जाती है। जन समुदाय व अभिभावकों को मार्गदर्शन के बिन्दु पर चर्चा की जाती है। जनजागरण हेतु जनजागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। जनपद सुलतानपुर में डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत अभी यह कार्यक्रम केवल चार विकास खंण्डों में ही चलाया जा रहा है। जब कि 6 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चे पूरे जनपद मे सभी को शिक्षा हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम पूरे

जनपद में चलाया जाना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों को सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इसलिये अक्षमताग्रस्त बच्चों को भी समेकित शिक्षा की मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये कुछ विशेष कार्ययोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि डी0पी0ई0पी0 के अल्प समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चें समाज मे अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते इसलिये सरकार व स्वयंसेवी संस्थाये इन अक्षमताग्रस्त बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित शिक्षा की नई विचारधारा को लागू कर रहे है और इसके परिणाम समाज में दिन प्रतिदिन अच्छे रहे हैं क्योकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नहीं होते है समुदाय जागृत नहीं होता है वहां राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है। यह बच्चे जो कि अभी काफी संख्या में विद्यालय से बाहर है, शिक्षा से वंचित हैं उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों का रूढ़िवादिता का अन्त कर जन समुदाय कों जागृत कर बच्चों में आत्म विश्वास जगाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने में समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है। क्योंकि वे सुविधा सम्पन्न नहीं है और उनकी परिस्थितियॉ भी आसान नहीं है इसलिये समेकित शिक्षा के द्वारा समाज के अक्षमताग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत् है।

(1) जनपद के सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों का मेडिकल असेस्मेंट।

(2) असेज्मेन्ट उपरान्त सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन।

(3) मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक 4 प्रतिभागी।

(4) फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी।

(5) प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण।

(6) साहित्य वितरण पूरे जनपद में।

(7) समेकित शिक्षा मे एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग।

(8) प्रत्येक ब्लाक में समेकित शिक्षा पर तीन दिवसीय विशेष शिविर।

(9) पूरे जनपद में विकलांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग।

(10) वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर।

(11) अभिभावक गोष्ठी न्याय पंचायत स्तर पर।

(12) खेलकूद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर।

(13) जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर।

(14) अभिभावक शिक्षक बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर।

(15) समस्त विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शारीरिक असुविधा को ध्यान मे रखते हुए रैम्प विशेष कुर्सी नीचे श्यामपट, नीचे स्विच बोर्ड इत्यादि।

(16) जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रजिस्टर बनवाये जाने चाहिए।

(17) विद्यालय में विकलांग बच्चों के ठहराव हेतु विकलांग छात्रवृत्ति उपकरण/उपस्कर वितरण व समय–समय पर पॉच दिवसीय शिविरों का आयोजन।

(19) विकलांग दिवस का समारोह प्रतिवर्ष न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन।

(20) जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।

(21) ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

(22) ब्लाक स्तर पर रिसोर्स रूम की स्थापना।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चो को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय को भी जागृत किया जा सकेगा, इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेगें यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा में इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्याय– 9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाएं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान की संकल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुये जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे उनके खान–पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों का ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अथवा बहुत कम था। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनको घर–गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ–साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ–साथ बालिकाओं को भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। आज विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नहीं है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक–बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे है। साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। वहां अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। आज बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे है। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रूचि ले रहे है। इसका परिणाम यह हो रहा हैं। कि ज्ञान क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे है। यह सब जनपद स्तर पर डायट के निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग का

प्रतिफल है। डायट से लेकर एन.पी.आर.सी. स्तर तक सभी योजना को सफल बनाने में अपने योगदान दें रहे है तथा शासन की नीति को समाज के सभी दबे–कुचले लोगों तक ले जाने में प्रयासरत है। डायट के बहु आयामी कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को निरतंर प्रगति की ओर ले जा रहे है।

डी.पी.ई.पी. (III) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप :–

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1– सेवारत प्रशिक्षण–		4786
2– बी.आर.सी. प्रशिक्षण–		22
3– एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण–		187
4– शिक्षा मित्र (डी.पी.ई.पी./बेसिक)–	बोधात्मक	1328
	पुर्नबोधात्मक	361
5– आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण–		104
6– समेकित शिक्षा प्रशिक्षण–		1204 (4 ब्लाक)
7– आंगनबाड़ी प्रशिक्षण–		25 (कार्यकत्री)
8– सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण–		4119
9– श्रेणीकरण		A-189, B-1462, C-354, D-64
10– लिंग संबेदीकरण		4119

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर में प्रशिक्षित किया गया। जनपद सुल्तानपुर एवं छत्रपति साहूजी महराज नगर के 22 विकास खण्डों तथा 187 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो उनके कार्यों उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों/ सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व /पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथाः–

1– उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, संवर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

2– मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं की भी परिधि में लाया जाना।

3– अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा– 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों {राजकीय, परिषदीय, अशासकीय} माध्यमिक विद्यालयों {अशासकीय / राजकीय} के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुलतानपुर, विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद सुल्तानपुर में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय में ही रेलवे स्टेशन के पास स्थित है इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

1– जिला संसाधन इकाई विभाग।

2– सेवा पूर्व विभाग।

3– सेवारत विभाग।

4– पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

5– कार्यानुभव विभाग।

6– शैक्षिक तकनीकी विभाग।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1– जिला संसाधन ईकाई विभाग–

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का अवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है–

1– अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

3– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।

4– कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

5– कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।

6– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपरकणों का निर्माण करना।

7– कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों को पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना।	पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन ईकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006–2007 तक स्वयं सेवकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2– सेवापूर्ण विभाग :–

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी

आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित हैं।

3– सेवारत विभाग :–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अम्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अग्रेंजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभाग:–

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परसिर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनवोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यपक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑवले की खेती एवं फल सरंक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्ष अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभागः–

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों की आमांत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संबर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक समाग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र, छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभागः–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु, उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का

विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एव मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत् रूप से होगा।	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभागः–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0ए0म0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण ईकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

नोट– S.I.E/S.C.E.R.T./S.I.E.M.T/S.P.O. द्वारा निष्दिष्ट/निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेगें।

गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिकाः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायत्वि निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिकाः–

1 ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों

के समाधान के लिये किया जाता है।

2– डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।

3– विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4– ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।

5– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन. पी. आर. सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6– ई. एम. आई. एस. आंकड़ों का संकलन कार्य।

7– ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तद्नुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8– एन. पी. आर. सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9– एन. पी. आर. सी. के फीड बैक ओर इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।

10– संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र विन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई. एम.आई. एस. ऑकड़ों का संकलन कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।
4. बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रो को वॉछित सहयोग प्रदान करना।
6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।
7. अध्यापाकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी

पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम {प्राथमिक स्तर पर }

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम { डी.पी.ई.पी.} से आच्छादित जनपद सुलतानपुर कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया। तथा उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट रायबरेली में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद सुलतानपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवश्यक अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो कि समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा

विकसित माड्यूल 'साधन' का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।
7. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।
8. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।
9. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।
10. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।
11. गतिविधियों द्वारा पाट्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।
12. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
13. बहु उद्देशीय शिक्षण अधिगम सामाग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं

सम्भावनाये।

14. शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।
15. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।
16. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।
17. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र 'साधन' की अद्यतन स्थिति

कुल शिक्षक संख्या – 4913

{शिक्षा मित्रों सहित}

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या – 4786

अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या– 127 नव नियुक्त

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी.पी.ई.पी.} योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में बृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिबृद्धि के लिए गणि विषया धारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें क्रमशः 277 एवं 15८ अध्यापक लाभान्वित हुए। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/ अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कोशल में अभिबृद्धि के लिए आयोजित किये जा

रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भॉति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुलतानपुर के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि ओर शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन. पी. आर. सी. समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्यायें जिनका निदान नही हो पाता, एन. पी.आर. सी. समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समवयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन. पी. आर. सी./ बी. आर. सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्यायें तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी. आर. सी. समन्वयकों की प्रत्येक माह 11 तारीख को मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट संकाय सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी. आर. सी, एन पी. आर. सी. समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभावः—

जनपद सुलतानपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 'साधन' माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक {प्रशिक्षण}, डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरणः—

जनपद सुलतानपुर में एन. पी. आर. सी. समन्वयकों के 113 पद सृजित हैं तथा 113 समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञां संख्या 2314/ 15—5—01— 346 / 2001 दिनांक 11—7—2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति	
2101	2069	ए —	189
		बी —	1462
		सी.—	354
		डी. —	64

बेस लाइन सर्वे वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या – 9.1

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2	भाषा	67.37	25.5	32.63	59.79	22.9	40.27
2	2	गणित	77.39	28.9	22.61	68.78	24.1	31.22
3	5	भाषा	61.56	4.9	38.44	62.46	4.0	37.54
4	5	गणित	17.92	12.41	82.08	20.31	12.47	79.69

स्रोत : बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट डायट सुल्तानपुर

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थितिः–

DPEP-III लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा–2 भाषा में 32.7% बालक तथा 40.2% बालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके। तथा कक्षा–2 गणित में 22.61% बालक तथा 31.22% बालिकाएं एम0एल0एल0 को प्राप्त नहीं किये है। कक्षा 5 के भाषा में 38.44% बालक एवं 37.54% बालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। कक्षा–5 गणित में 82.08% बालक एवं 79.69% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सकी।

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद मे 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001–2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा–1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए हैं जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ–साथ विद्यालयों में बच्चों का

नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं. जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक/बालिकाओं को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाईन स्टडी के माध्यम से किया गया था। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा मिडटर्म स्टडी से पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकरात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या – 9.2

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2	भाषा	25.70	41.70	15.60	25.60	38.00	16.2
2	2	गणित	23.70	55.00	7.40	28.60	43.50	10.70
3	5	भाषा	30.90	41.70	21.40	24.50	42.40	24.70
4	5	गणित	11.60	36.70	44.10	14.70	27.70	50.00

स्रोत : डायट सुल्तानपुर

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण मार्च 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :–

डी0पी0ई0पी0–III लागू होने के ढाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा–2 भाषा में 15.60% बालक तथा 16.20% बालिकाएं एवं कक्षा–2 गणित में 7.40% बालक एवं 10.70% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके है। तथा कक्षा–5 भाषा में 21.40% बालक एवं 24.70% बालिकाएं तथा कक्षा–5 गणित में 44.10% बालक एवं 50.0% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सके हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा–2 व 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुई है।

1– कक्षा–2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 84.10% एवं 90.95% है।

2– कक्षा–5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 76.95% एवं 52.95% हैं।

3– कक्षा–2 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 84.41% एवं 83.80% है।

4– कक्षा–2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 92.6% एवं 89.30% है।

5– कक्षा–5 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 78.60% एवं 75.30% है।

6– कक्षा–5 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 55.90% एवं 50.00% है।

7– कक्षा–2 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

8– कक्षा–5 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है :–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चो का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चो द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

6– बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामंकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7– सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

8– शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चलरही है वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T. - Systematice Approach of Training

S- Systematic

A- Approach

T- Training

I- Identification (पहचान) I.N. - Identification of Need.

N- Need (आवश्यकता)

D- Desigining & Planning (डिजाइनिंग एवं योजना)

I- Implemintation (क्रियान्वयन)

A- Assessment (मूल्यांकन)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खंड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकास खंड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का

आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत् प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डीपीईपी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहुत कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1– विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण

हेतु आवश्यकतानुसार एक एक दिवसीय तीन कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी ।

3- मैटेरियल मेले का आयोजन ।

4- विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी ।

1- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों / शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण:-**

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	अनुमानित व्यय
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	1582	1582	-
2004-05	8075	1465	9540	1335600
2005-06	8686	1515	10201	1428190
2006-07	8928	1515	10443	1462020

2- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों / शिक्षा मित्रों के टी.एल.एम. का प्रशिक्षण:-**

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	मा.प्रा./स.प्रा.	योग	अनुमानित व्यय
2002-03	-	-	-	-	-
2003-04	-	1582	-	-	-
2004-05	7805	1465	804	10374	2172240
2005-06	10785	1515	804	10965	2302650
2006-07	11271	1515	804	11222	2356620

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगें । जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 70.00 रुपये की दर से व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व मे दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 70.00 रुपये की दर से व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व मे दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0वी0एस0ए0 का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी. एल.एम. प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण :–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।

2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।

3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।

4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।

7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

8– शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।

9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण :–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग समबन्धी शिक्षा प्रदान करेगें।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :–

कक्षा में बालिकाओ के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओ द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने

वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षणः जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रो के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :–

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्टएवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयको की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादिमक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट

में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के समन्वयको की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :—

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पॉच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :—

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपमेंट ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग–

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रख कर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/ जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ– साथ विद्यालय विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह { बी. आर. जी.} तथा जिला संसाधन समूह { ी आर. जी.} का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा

समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह { बी. आर. जी.} के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समूह {बी. आर. जी.} के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कूल 1105 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 70 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकरण।

2– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

3– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।

4– समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।

5– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

6– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल { ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास} के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन {माइक्रो प्लानिंग} तथा स्कूल मानचित्रण {स्कूल मैपिंग} का कार्य

किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई – बहन एवं माता–पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :–

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर

प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालयं की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान कियागया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : – 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या : – 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
पल्स पोलियों चुनाव	30 दिन	30 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणना		
ए0बी0एस0ए0 की बैठक		
खेलकूद की रैली		
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी		
समुदाय से संपर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ में उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन x समय	वादन x समय
भाषा 1 हिन्दी	10 X 40	3 X 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 X 40	3 X 40
भाषा 3 संस्कृत	3 X 40	3 X 40
विज्ञान	6 X 40	3 X 40
गणित	10 X 40	3 X 40
सामाजिक विषय	5 X 40	3 X 40
बेसिक क्राफ्ट / कला	5 X 40	3 X 40
शारीरिक शिक्षा	3 X 40	3 X 40
कृषि	———	2 X 40

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
1–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	.....
2–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	.....
3–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावणीय अध्ययन		हिन्दी गणित	अंग्रेजी संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
4–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी गणित	अंग्रेजी संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
5–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	विज्ञान		हिन्दी गणित	अंग्रेजी संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ अवकाश	मध्य	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
6	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
7–	हिन्दी	गणित	सा0 विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
8–	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा0विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला / व्यायाम

कार्यशालाओ / गोष्ठियों का आयोजन :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठको को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने मे बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3– विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास

4– छात्र / छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटम का निर्माण।

5– समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।

6– छात्र / छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

7– छात्र / छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।

8– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधान :–

जनपद मे विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पॉच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओ के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूंढने में सफल हो सके। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:–

1– शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है?

2– बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये?

3– बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे?

4– कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास?

5– शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास)?

6– बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान?

7– बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास?

8– समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास?

9– शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास?

10– अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग मे न लाना?

11– धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियॉ खोजना?

12– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।

13– बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।

14– प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15– विद्यालय परिसर के दुरुपयोग की समस्या।

16– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18– मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।

19– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।

20– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22– गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली :–

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निद

ारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन मे हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षों को निकालने सम्बन्धी पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगें।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्टे जनरेट की जा सकती है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण एवं व्यवस्था करके जो मुद्दे उभरेगें उनको ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

मूल्यांकन प्रणाली :–

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0स्तर पर एवं कक्षा–8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध यापकों को भी सतत् एसववं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सके।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :–

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढ़ीकरण :–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद्, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :–

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम् उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठयक्रम

के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत / ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों / डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेंगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खंड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खंड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर :–

वर्ष 2003–04

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1–	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2–	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3–	शिक्षा मित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4–	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5–	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6–	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7–	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8–	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9–	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन

10– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11– ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12– विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13– गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14– वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15– व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16– समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अंतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
17– टी0एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास :–

डायट संकाय के सदस्यो को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है :–

1– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।

2– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

3– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।

4– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।

5– मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उउपकरणों/टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।

6– क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन :—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकेजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेगें प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास कियां जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन

विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा. एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डीपीईपी के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयें, उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केंद्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत् अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रुपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षामित्रों,

नवीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षामित्रों को वर्ष 2002–03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

सारिणी संख्या–

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	—	—
2003–04	—	—
2004–05	8105	1465
2005–06	8705	1515
2006–07	8948	1515

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुलतानपुर का सुदृढ़ीकरण :

डायट सुलतानपुर में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरुष/महिला छात्रावास डायट की स्थापना के समय निर्मित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहेगा इसलिए प्रतिभागियों के आवास के लिए 50 शैय्या का छात्रावास तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष तथा फर्नीचर युक्त 200 व्यक्तियों हेतु सभाकक्ष की आवश्यकता है।

डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज, 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 100 तख्त, 100 गद्दा, 100 बेडशीट तथा तकिया की आवश्यकता है। कार्यक्रमों की टेली कान्फ्रेंसिंग के लिए एक बड़े 73 सेमी0 रंगीन टी0वी0 बी0सी0आर0 के साथ उपलब्ध है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर रूम नहीं है। संस्थान में कम्प्यूटर कक्षा

-के लिए एक डाट मेटिक्स प्रिन्टर एवं एयर कन्डीशनर की आवश्यकता है। पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु आलमारी और फर्नीचर की आवश्यकता है। संस्थान में कोई भी कक्ष ऐसा नहीं है जिसमें 100 व्यक्ति एक साथ बैठ सकें फलस्वरूप सामूहिक कार्यक्रम, टेली कान्फ्रेन्सिंग, सेमिनार गोष्ठी आदि आयोजित करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः संस्थान के लिए एक फर्नीचर युक्त एक सभाकक्ष अति आवश्यक है जिसमें कम से कम 200–250 व्यक्ति एक साथ बैठ सकें।

उक्त के अतिरिक्त जीराक्स मशीन एवं ओवर हेड प्रोजेक्टर न होने के कारण प्रशिक्षणों का सुचारू रूप से संचालन में असुविधा होती है। अतः उक्त उपकरण भी आवश्यक है।

डायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	2.00
2.	सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	पुताई, रंगाई, सुधार, मरम्मत आदि	2.00
	योग	12.00
	उपकरण साज–सज्जा	
1.	कम्प्युटर्स वर्क्स स्टेशन	6.00
2.	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	0.50
3.	वाटर कूलर, डुप्लीकेटग मशीन ए0सी0	2.00
4.	ओबर हेड प्रोजक्टर	0.25
5.	जीराक्स मशीन	0.75
	योग	9.500
	अन्य मद	
1.	संस्थान की बाउन्ड्री	2.00
2.	जलापूर्ति हेतु पाइप की मरम्मत	0.50
3.	ड्राइवर हेतु वेतन	1.00
	योग	3.50
	आवर्तक प्रतिवर्ष	
1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशाला/सेमिनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कन्टीजेन्सी	1.00
5.	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	0.50
	योग	9.50

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जांयेगे –

सारणी संख्या – 9.3

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर	0.50	
2.	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	2.00	
3.	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	6.00	
4.	वाहन	–	
5.	किराये का वाहन	0.80	
6.	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	1.00	
7.	सेमिनार	16.00	
8.	शोध/क्रियात्मक शोध	16.00	
9.	संकाय विकास	4.00	
10.	एक्सपोजर विजिट	4.00	
11.	पुस्तकालय	0.25	
12.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	0.56	
13.	ड्राइवर का वेतन	0.20	
14.	कंज्यूमेबिल/कम्प्यूटर स्टेशनरी	0.16	
15.	आनुषंगिक व्यय	8.00	
	योग	59.47	

अध्याय दस

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु वर्ग से सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनकाप्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्ध टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम् जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगीं

प्रबन्ध तंत्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली स्थापित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों का अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचरात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्वशिक्षा अभियान में एक प्रबन्धतंत्र तैयार किया है जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है:–

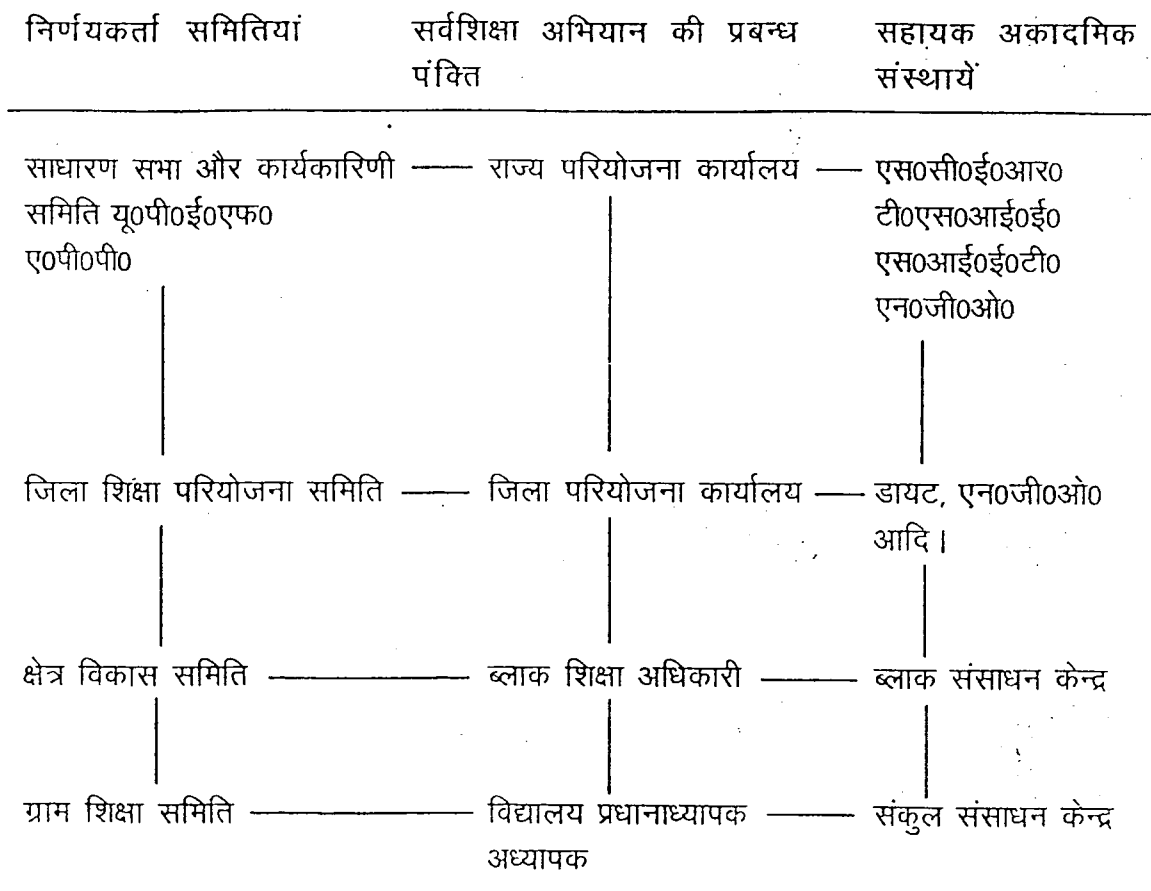

निर्णयकर्ता समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0पी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0 टी0एस0आई0ई0 एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि।
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

प्रशासनिक तंत्र

1 जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन तथा मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे –

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	(इ0जी0एस0 / ए0आई0ई0)
3. समन्वयक	:	5
4. सलाहकार	:	2
5. कम्प्यूटर आपरेटर	:	1
6. सहायक लेखाधिकारी	:	1
7. लेखाकार	:	1
8. स्टेनो	:	1
9. लिपिक	:	1
8. परिचारक	:	2

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्वेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे।

गठनात्मक ढांचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वष्र 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमे निम्नलिखित सदस्य हैं:–

समित का स्वरुप निम्नवत् है :–

1– ग्राम पंचायत का प्रधान – अध्यक्ष

2– ग्राम पंचायत मे स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहां एक से अधिक विद्यालय हो तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येष्ठतम् सदस्य – सचिव

3– बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक

जिनमें एक संरक्षक महिला होगी

(सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा

नाम निर्दिष्ट किये जायेगें)। – सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्रशासन नियंत्रण तथा प्रबन्धन करना।

(ख) बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जांय।

(ङ) बेसिक विद्यालयों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाय लघुदंड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाय।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रहती है? जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपर्ति आदि

सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता प्राप्त करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धक एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यो को सम्पादित किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा जिससे कि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का वांछित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन, मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :–

इस जनपद में न्याय पंचायत केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ 84 संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

1– न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।

2– अध्यापकों की साप्ताहिक बैठकें करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर

विचार–विमर्श एवं उनका निराकरण करना।

3– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5– न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :–

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति मे निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1– क्षेत्र पंचायत प्रमुख	–	अध्यक्ष
2– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य–सचिव
3– विकास खंड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4– विकास खंड का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

कार्य एवं दायित्व –

(1) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(2) जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(3) क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(4) ग्राम शिक्षा समितियों तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच संपर्क

का कार्य करना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

इस समिति की माह मे एक बारबैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत् है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार व सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खंड के विद्यालयों की गुणवत्ता बनाये रखने में विकास खंड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खंड परियोजना अधिकारी होगें। संक्षेप मे विकास खंड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें –

1– सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2– विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।

3– ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4– ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन कराना।

5– ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र कर संकलित करना।

6– सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना संकलित

करना।

7– विद्यालय में अध्ययनरत् सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

8– पोषाहार वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।

9– विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10– विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11– ग्राम शिक्षा समिनि के बीच समन्वय स्थापित करना।

12– अध्यापकों के वेतन बिल समय से प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा उन केन्द्रों पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम -III के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्वशिक्षा अभियान में विकास खंड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– प्रति विकास खंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन मे सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खंड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी1आर1सी1) :-

इस जनपद मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III संचालित हो चुका है और 15 विकास खंडों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। कुल 13 विकास खंडो में बी0आर0सी0 समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है तथा कुल 18 बी0आर0सी0 सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु देखा जाता है कि समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जाय।

कार्य एवं दायित्व :–

(1) अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

(2) विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

(3) विकास खंडों की अकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक योजनाओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

(4) ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

(5) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला प्रशिक्षण संस्थान के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

(6) ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7– विकास खंड के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर के बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार विवरण तैयार करना।

8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठित निम्नवत् है –

1– जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
4– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
5– जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
6– जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
7– वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
8– अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0एस0	–	सदस्य
9– जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
10– दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य
11– दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)	–	सदस्य
12– दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार)	–	सदस्य
13– स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्य कार्यक्रम–।।। द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने तथा रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसकी निर्णायक भूमिका है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
SULTANPUR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	ACCESS													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	0	0	0	0	7	1792	0	0	7	1792
A2	New Upper Primary Schools	451	37	16687	25	7000	0	0	7	1960	0	0	69	25647
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03) / Salary of Asst. Teacher(UPS) in new school (2001-	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	02/02-03)	10	111	10440	111	13320	111	13320	111	13320	111	13320	555	63720
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	0	0	0	0	7	173.25	7	173.25	14	346.5
A6	Salary of Assistant Teachers(BPS)(2003-04/05-06	9	0	0	0	0	0	0	7	756	7	756	14	1512
A7	months)/05-06	10	0	0	75	4500	75	9000	96	11520	96	11520	342	36540
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	0	0	0	0	7	70	0	0	7	70
A8.2	UPS	50	58	2900	25	1250	0	0	7	350	0	0	90	4500
A9	TLE UPS not covered OBB	50	44	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2200
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	32227	0	26070	0	22520	0	30141.25	0	25969.25		136927.5
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	0	0	50	1056.25	50	1056.25	100	2112.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Addl. Management Cost / AIE Innovative (all models of DPEP(per child)-	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	100	2112.5	204	4309.5	254	5365.75	558	11787.75
A13	AIE Upper Primary / Back to school camps(per child)(for 40 children per	1.2	0	0	44	1584	124	4464	204	7344	237	8532	609	21924
A14	center)	1.5	0	0	0	0	50	3000	50	3000	30	1800	130	7800
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	3	540	3	540	3	540	10	1800
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	187	6320.6	187	6320.6	187	6320.6	187	6320.6	748	25282.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	50	767.5	50	767.5	100	1535
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	32227	0	34154.60	0	39207.10	0	53729.10	0	50601.35	0	209919.15
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	15	2865	15	2865	14	2674	44	8404
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	11	4213	8	3064	8	3064	5	1915	32	12256
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	700	49000	700	49000	599	41930	1999	139930
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	23	1610	60	4200	150	10500	141	9870	0	0	374	26180
R4.1	Toilets Upper Primary	10	24	240	29	290	37	370	37	370	38	380	165	1650
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	350	3500	350	3500	350	3500	1050	10500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	78	1404	45	810	0	0	123	2214
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	2097	10485	2101	10505	2101	10505	2106	10530	8405	42025
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	246	1230	246	1230	293	1465	293	1465	298	1490	1376	6880
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra													
R7.2	PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1780	44055	4160	102960	4403	108974.25	10343	255989.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	600	57600	243	23328	254	24384	1097	105312
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1780	24030	2380	58905	243	6014.25	253	6261.75	4656	95211
R10.	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	26	52	2101	4202	2108	4216	2108	4216	6343	12686
R10.	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	246	492	433	866	561	1122	578	1156	578	1156	2396	4792
R12	**Promoting Girls Education**		0	2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2438
R12.	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	70	315	140	630	120	540	330	1485
R12.	MCDA	75	0	0	0	0	15	1125	10	750	0	0	25	1875
R12.	Meena Manch	4	0	0	0	0	24	96	24	96	24	96	72	288
R12.	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	70	1750	50	1250	50	1250	170	4250
R12.	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0	0	0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	100	500	100	500	0	0	200	1000
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	130	585	230	1035	230	1035	590	2655
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	130	195	230	345	230	345	590	885
R13.5	Training		0	0	0		0	0	0		0			
R13.	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	100	7	100	7	0	0	200	14
R16	Community Mobilization		0	0	0		0	0	0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	2394	6703.2	0	0	2394	6703.2	4788	13406 4
R16.2	Bal Mela NPRC(5 per NPRC)	5	0	0	0	0	187	935	187	935	187	935	561	2805
R16.3	Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	1262	605 76	0	0	1262	605.76	2524	1211 52
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	23	115	23	115	23	115	69	345
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	712	0	0	23	1534.1	23	1534.1	23	1534.1	69	5314.3
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	24	1440	24	1440	24	1440	82	9320
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	293	732.5	2394	5985	2394	5985	5081	12702 5
	RETENTION Sub Total		0	6722	0	**50366**	0	**265247.0**	0	**233796.76**	0	**228046.46**	**0**	784178.17
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes / Induction Trg. for Shiksha Mitra(/perseon for 30		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	days)	2.1	0	0	0	0	1780	3738	605	1270.5	243	510.3	2628	5518 8
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days) / In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) PT	0.07	174	365.4	0	0	600	1260	858	1801.8	1097	2303.7	2729	5730.9
Q1.3	for PS	1.4	0	0	231	323.4	4945	6923	5558	7781.2	5798	8117.2	16532	23144.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1297	1815.8	1582	1661.1	1465	1538.25	1475	1548.75	1490	1564.5	7309	8128.4
Q1.5	Induction Training of UPS Asst. Teachers / In-service Training of Shiksha Mitra(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	1350	94.5	3137	219.59	3737	261.59	8224	575.68
Q1.6	30 days) / Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person	0.07	0	0	0	0	100	7	104	7.28	50	3.5	254	17.78
Q1.7	for 10 days)	0.07	0	0	0	0	69	48.3	0	0	0	0	69	48.3
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	187	130.9	0	0	0	0	187	130.9
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	0	0	30	42	60	84
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	24	8.4	24	8.4	24	8.4	72	25.2
Q2	**IED Provision for disable children**	1.2	696	278	2773	3327.6	3022	3626.4	3294	3952.8	3590	4308	13375	15492.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers / NGOs teachers(17.2 th. /batch of 32	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	MARG Review training @ Plg Teams by SIEMAT(5	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	**Teacher Learning Material**		0	0	0		0		0		0		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	205	102.5	8075	4037.5	8686	4343	8928	4464	25894	12947
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1471	735.5	2932	1466	2269	1134.5	2279	1139.5	2279	1139.5	11230	5615
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	1021	51.05	287550	14377.5	316251	15812.55	316479	15823.95	921301	46065.05
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	82466	12369.9	59126	8868.9	65038	9755.7	74793	11218.95	86012	12901.8	367435	55115.25
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	293	43.95	293	43.95	293	43.95	879	131.85
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	293	14.65	293	14.65	293	14.65	879	43.95
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	2101	31515	2101	31515	2101	31515	6303	94545
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	293	2197.5	293	2197.5	293	2197.5	879	6592.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	15564.6	0	**15800.55**	0	**80565.55**	0	**82947.92**	0	**85292.04**		**280170.66**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	**DIET Capacity Building**		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.1	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.1	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.1	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.1	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.1	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	**Block Resource Center--B.R.C.**		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	23	3312	23	3312	46	6624
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	46	3036	46	3036	92	6072
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	22	132	23	138	23	138	23	138	91	546
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	23	46	23	46	23	46	69	138
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	23	230	23	230	23	230	69	690
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	22	110	23	115	23	115	23	115	91	455
C2.1	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.1	Contigency	12.5	0	0	22	275	23	287.5	23	287.5	23	287.5	91	1137.5
C2.1	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	23	82.8	23	82.8	23	82.8	69	248.4
C2.1	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	23	115	22	110	22	110	67	335
C3	**School Complex (NPRC)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	187	26928	187	26928	374	53856
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	187	187	187	187	187	187	187	187	748	748
C3.4	Contingency	2.5	0	0	187	467.5	187	467.5	187	467.5	187	467.5	748	1870
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	187	448.8	187	448.8	187	448.8	187	448.8	748	1795.2
C4	**District Project Office/Management**		0	906	0	2410	0	0	0	0	0	0	0	3316
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	9	1620	9	1620	18	3240
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	24	432	24	432	24	432	72	1296
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	24	240	24	240	24	240	72	720
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.1	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.1	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.1	Pay to JE	10	0	0	0	0	24	2880	24	2880	24	2880	72	8640
C4.1	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.1	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	304	425.6	0	0	2101	2941.4	2101	2941.4	2101	2941.4	6607	9249.8
C4.1	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	0	0	283	396.2	293	410.2	293	410.2	293	410.2	1162	1626.8
C4.1	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.1	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	1331.6	0	**4426.6**	0	**10496.2**	0	**45327.2**	0	**45327.2**		106908.7
C5	**MIS**		0	0	0	0	0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.1	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.1	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.1	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		**0**	1331.6		**4670.6**	**0**	**10800.2**	**0**	**45851.2**	**0**	**45751.2**	**0**	**108404.7**
	GRAND TOTAL		**0**	**55845.2**	**0**	**104991.65**	**0**	**395819.81**	**0**	**416324.97**	**0**	**409691.05**	**0**	**1382672.68**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **SULTANPUR**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	18537.0	15703.0	70703.0	73231.0	50399.0	228573.0
Management	425.6	396.2	7747.6	9587.6	9487.6	27888.6
Programme	36882.6	88892.5	317369.2	333506.4	349804.5	1126211.1
Total	**55845.2**	104991.7	**395819.8**	**416325.0**	40969 i.1	**1382672.7**
Percentage - Civil	**33.2**	**15.0**	**17.9**	**17.6**	**12.3**	**16.5**
Percentage - Management	**0.8**	**0.4**	**2.0**	**2.3**	**2.3**	**2.0**
Percentage - Programme	**66.0**	**84.7**	**80.2**	**80.1**	**85.4**	**81.5**
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100